

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-151

जिसका उत्तर 07 मार्च, 2013 को दिया जाना है ।

विद्युत का क्षमता संवर्धन

उ^३ 151. श्री सी. शिवासामी :

श्री एस. पक्कीरप्पा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत के क्षमता संवर्धन के संबंध में निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और योजनावधि के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति न हो पाने के क्या कारण हैं;
- (ख) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षमता संवर्धन हेतु वर्ष-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, अब तक कितने लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं तथा विद्युत क्षेत्र में कारगर परिवर्तन लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष निगरानी तंत्र स्थापित किया है कि क्षमता संवर्धन निर्धारित किए गए लक्ष्यों के अनुरूप हो; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)से(घ)- एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विद्युत की क्षमता अभिवृद्धि के बारे में लोक सभा में दिनांक 7.3.2013 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 151 के भाग (क)से(घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क)- 11वीं योजना के लिए 62,374 मेगावाट के उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य(योजना आयोग के मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार) जिसमें केंद्रीय क्षेत्र में 21,222 मेगावाट, राज्य क्षेत्र में 21,355 मेगावाट और निजी क्षेत्र में 19,797 मेगावाट शामिल है, के प्रति 11वीं योजना के दौरान प्राप्त वास्तविक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि केंद्रीय क्षेत्र में 15,220 मेगावाट, राज्य क्षेत्र में 16,732 मेगावाट और निजी क्षेत्र में 23,012 मेगावाट सहित 54,964 मेगावाट थी ।

11वीं योजना के क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य की प्राप्ति में कमी के मुख्य कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य संयंत्र उपस्करों के लिए आदेश जारी करने में देरी, सिविल कार्यों की धीमी प्रगति, परियोजना विकासकर्ता और ठेकेदार तथा उनके उप-विक्रेताओं/उप-ठेकेदारों के बीच संविदात्मक विवाद, खराब भूगर्भीय स्थिति, तीव्र बाढ़, पर्यावरणीय सरोकार, कानून व्यवस्था की समस्याएं/स्थानीय मुद्दे तथा कठिन क्षेत्र एवं जलवायु संबंधी स्थितियां शामिल हैं ।

(ख)- योजना आयोग के अनुसार, 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनाई गई है । वर्ष-वार प्रस्तावित क्षमता अभिवृद्धि निम्नानुसार है-

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	कुल
मेगावाट	17956.3	16402.3	20408	18820	14950	88536.6

वर्ष 2012-13 के दौरान (28.2.2013 की स्थिति के अनुसार) उपलब्ध क्षमता अभिवृद्धि 13,594.8 मेगावाट है ।

सरकार विद्युत क्षेत्र में प्रभावी परिवर्तन लाने के लिए विद्युत परियोजनाओं का समय पर चालू करना सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठा रही है:

- (i) चालू उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि की गहन निगरानी ।
- (ii) अवरोध क्षेत्रों की पहचान करने और अंतर्मंत्रालयी तथा अन्य बकाया मामलों के शीघ्र समाधान को सुगम बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, योजना आयोग और मंत्रिमंडल सचिवालय सहित विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षाएं की जाती हैं ।
- (iii) विद्युत क्षेत्र को कोयला तथा गैस उपलब्ध कराने के लिए मंत्रालय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं ।
- (iv) मांग को पूरा करने के लिए क्षमता अभिवृद्धि की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मुख्य संयंत्र उपस्करों के विनिर्माण के लिए अनेक संयुक्त उद्यमों के गठन के साथ देश में मुख्य संयंत्र उपस्कर की विनिर्माण क्षमता बढ़ाई गई है ।

(ग)और(घ)- सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्षमता अभिवृद्धि निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हो, एक निगरानी तंत्र स्थापित किया है । विवरण निम्नानुसार है:

- (i) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 73(च) के अनुसरण में विद्युत परियोजनाओं की निगरानी का कार्य कर रहा है । प्रत्येक परियोजना की प्रगति की कार्य स्थल के बार-बार दौरों, विकासकर्ताओं के साथ बातचीत और मासिक प्रगति रिपोर्टों के गहन अध्ययन द्वारा निरंतर निगरानी की जाती है । अध्यक्ष, सीईए द्वारा जटिल मामलों के समाधान के लिए विकासकर्ताओं एवं अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं ।
- (ii) निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की स्वतंत्र निगरानी के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा एक विद्युत परियोजना निगरानी पैनल (पीपीएमपी) स्थापित किया गया है ।
- (iii) विद्युत मंत्रालय द्वारा जटिल मामलों के समाधान के लिए स्टेकहोल्डरों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें की जाती हैं ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1634.

जिसका उत्तर 07 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

गंगा पर पनबिजली परियोजनाएं

1634. श्रीमती कमला देवी पटले :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों पर वर्तमान में निर्माणाधीन पन-बिजली परियोजनाओं की संख्या क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में जल के प्रवाह और पारिस्थितिकी पर इन परियोजनाओं के कारण पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) नदी के अविरल प्रवाह को सुनिश्चित करने और पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : इस समय, गंगा नदी तथा इसकी सहायक नदियों पर 2351 मेगावाट की संस्थापित क्षमता वाली आठ जल विद्युत परियोजनाएं (एचईपी) निर्माणाधीन हैं। ब्यौरे अनुबंध पर दिए गए हैं।

(ख) और (ग) : जल विद्युत परियोजनाओं के संचयी प्रभाव, जिनमें जल के प्रवाह, नदीय पारिस्थितिकी प्रणाली तथा भूमि एवं जलीय जैव-विविधता पर प्रभाव शामिल हैं, का आकलन करने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून तथा आई.आई.टी, रुड़की के माध्यम से दो अध्ययन करवाए हैं।

(घ) : पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जल विद्युत परियोजनाओं को उनके द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के द्वारा निर्धारित की गई, परिभाषित कार्य-विधियों के अनुसार पर्यावरण एवं वन संबंधी स्वीकृतियां प्रदान करता है। ये स्वीकृतियां पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अध्ययनों/पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) जिसमें उपर्युक्त वर्णित विशिष्ट अध्ययन शामिल है, पर आधारित है जिनमें पर्यावरण प्रभाव, जैव-विविधता पर प्रभाव, पर्यावरणीय प्रवाह, पुनर्वास एवं पुनःस्थापना से संबंधित मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

लोकसभा में दिनांक 7.3.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 1634 के भाग(क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

|||||||

गंगा एवं उसकी सहायक नदियों पर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं (नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की परियोजनाओं को छोड़कर)						
क्र. सं.	योजना का नाम	बेसिन	राज्य	संस्थापित क्षमता		चालू किए जाने की संभावना
				(सं. = मेगावाट)	मेगावाट	
केंद्रीय क्षेत्र						
1	टेहरी पीएसपी(टीएचडीसी)	गंगा	उत्तराखंड	4*250	1000.00	2017-18
2	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	गंगा	उत्तराखंड	4*130	520.00	2015-16
3	लता तपोवन(एनटीपीसी)	गंगा	उत्तराखंड	3*57	171.00	2017-18
उपजोड़ (केंद्रीय क्षेत्र) :					1691.00	
राज्य क्षेत्र						
4	स्वारा कुड्डु(एचपीपीसीएल)	गंगा	हि. प्र.	3*37	111.00	2014-15
उपजोड़ (राज्य क्षेत्र) :					111.00	
निजी क्षेत्र						
5	टांगु रोमई * (टीआरपीजीएल)	गंगा	हि. प्र.	2*22	44.00	2015-16
6	श्रीनगर(जीवीके)	गंगा	उत्तराखंड	4*82.5	330.00	2013-15
7	फाटा ब्योंग(लैंको)	गंगा	उत्तराखंड	2*38	76.00	2014-15
8	सिंगोली भटवारी (एल एंड टी)	गंगा	उत्तराखंड	3*33	99.00	2015-16
उपजोड़ (निजी क्षेत्र) :					549.00	
कुल:					2351.00	

|||||||

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1635.

जिसका उत्तर 07 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

सस्ती दर पर विद्युत का प्रावधान

1635. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या बिजली के बढ़ते हुए प्रशुल्कों और आर्थिक विकास पर इसके नकारात्मक प्रभाव के मद्देनजर विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने और उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर विद्युत उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्र सरकार ने कोई कदम उठाए हैं/उठाए जाने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

- (क) से (ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 में उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार तथा बिजली के उपयोग और विद्युत उद्योग के विकास से संबंधित प्रेरक उपाय करने, उसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने तथा सभी क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्ति करने, विद्युत प्रशुल्क को युक्तिसंगत बनाने, सब्सिडियों से संबंधित पारदर्शी नीतियां सुनिश्चित करने, कुशल तथा पर्यावरणीय अनुकूलन नीतियों का संवर्द्धन तथा उनके प्रासंगिक मामलों से संबंधित कानून समेकित किए गए हैं।

विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने तथा उपभोक्ताओं को किफायती दरों पर विद्युत प्रदान करने की दृष्टि से संघ सरकार द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं -

- (i) ग्रामीण विद्युतीकरण, उत्पादन, पारेषण, वितरण, सेवाओं की लागत तथा लक्षित सब्सिडी की वसूली, प्रौद्योगिकी विकास तथा अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी), उपभोक्ता हितों पर लक्षित प्रतिस्पर्धा, निजी क्षेत्र सहभागिता सहित विद्युत क्षेत्र कार्यक्रमों का वित्तपोषण, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरणीय मुद्दे, प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास, सह-उत्पादन तथा गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा तथा गुणवत्ता मानकों के मुद्दों का समाधान करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005 में अधिसूचित की गई थी।

- (ii) 2006 में, उपभोक्ताओं को उचित तथा प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने; क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने तथा निवेश आकर्षित करने; पारदर्शिता को बढ़ावा देने, अधिकार-क्षेत्र में विनियामक सोच में सामंजस्य तथा पूर्वानुमान और विनियामक जोखिमों की संभावना को न्यूनतम करने; प्रचालन में प्रतिस्पर्धा, कुशलता को बढ़ावा देने और आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से प्रशुल्क नीति अधिसूचित की गई थी।
- (iii) वितरण लाइसेंसियों द्वारा विद्युत के प्रापण और पारेषण परियोजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा प्रशुल्क के निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश और मानक बोली दस्तावेज जारी किए गए।
- (iv) इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना, जल विद्युत नीति भी अधिसूचित की गई है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए हैं -

- (क) एपीडीआरपी तथा आर-एपीडीआरपी स्कीमों के माध्यम से वितरण सुधार प्रारंभ किए गए। इनके अतिरिक्त, सार्वजनिक तथा निजी विद्युत यूटिलिटीयों को उनके वितरण नेटवर्क में सुधार लाने के लिए सुधारों से संबद्ध ब्याज सब्सिडी प्रदान किए जाने के लिए राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ) स्कीम अनुमोदित की गई है।
- (ख) राज्य सरकारों तथा डिस्कॉम को राज्य विद्युत क्षेत्र में वितरण कंपनियों के वित्तीय टर्न-अराउंड की नीति बनाने के लिए समर्थ करने के उद्देश्य से, डिस्कॉम के वित्तीय पुनर्गठन की स्कीम को हाल ही में (अक्टूबर, 2012) अनुमोदित किया गया है जिसे ऋणदाताओं द्वारा विद्यमान अल्पकालिक ऋण के पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण के लिए ऋणदाताओं की सहमति के माध्यम से समर्थ बनाया जाएगा।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1643.

जिसका उत्तर 07 मार्च, 2013 को दिया जाना है ।

निजी क्षेत्र में पन बिजली परियोजनाएं

अ1643. श्री कुलदीप बिश्नोई :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या निजी क्षेत्र को आबंटित की गई अनेक पन बिजली परियोजनाएं अभी भी शुरू नहीं हो पाई हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उनकी अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है तथा इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और
- (ग) विद्युत उत्पादन की मांग और आपूर्ति के बीच के अन्तराल को पाटने के लिए देश की पन बिजली उत्पादन क्षमता का विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में दोहन करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : 2002 से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा निजी क्षेत्र के अंतर्गत 11,919 मेगावाट की समग्र संस्थापित क्षमता वाली कुल सोलह जल विद्युत परियोजनाओं को सहमति प्रदान की गई है जिनका निर्माण विभिन्न कारणों से अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है । इन परियोजनाओं के ब्यौरे अनुबंध पर दिए गए हैं ।

(ग): सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश में जल विद्युत क्षमता अभिवृद्धि तथा जल विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए बहु-मुखी नीति अपनाई है । सरकार द्वारा किए गए कुछ नीतिगत उपायों तथा पहलों के निवेशक अनुकूल नई हाइड्रो नीति, 2008, उदार राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, पुरानी जल विद्युत उत्पादन इकाईयों का नवीकरण, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार, परियोजनाओं को निर्धारित समय से पूर्व पूरा करने पर प्रोत्साहन इत्यादि शामिल हैं ।

लोकसभा में दिनांक 7.3.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1643 के भाग(क)और(ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

|||||||

निजी क्षेत्र में सीईए द्वारा स्वीकृत सहमति परियोजनाएं एवं जिला कार्यान्वयन अभी शुरू किया जाना है:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी	के.वि.प्रा. द्वारा सहमति की तिथि	स्थिति/कारण
1.	कुटेहर	240	हिमाचल प्रदेश	मेसर्स जेएसडब्ल्यू इनर्जी प्रा. लि.	31.8.2010	चरण-॥ वन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई
2.	बजोली होली	180	हिमाचल प्रदेश	मेसर्स जीएमआर बाजोलीहोली एचपीपीएल	20.12.2011	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई
3.	अलकनंदा	300	उत्तराखंड	मेसर्स जीएमआर इनर्जी लि.	08.8.2008	चरण-॥ वन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई
4.	जालापुट डैम टो	18	ओडिशा	मेसर्स ओपीसीएल	31.01.2003	आंध्र सरकार ने परियोजना को एपीजेनको कंपनी को सौंपने का निर्णय लिया है । ओडिशा सरकार से सहमति प्राप्त नहीं हुई है ।
5.	पानन	300	सिक्किम	मेसर्स हिमगिरी हाइड्रो इनर्जी प्रा. लि.	07.3.2011	वित्तीय व्यवस्था क्रियाधीन है । बोली की मूल्यांकन अंतिम चरण पर है । वित्तीय बंदी को अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।
6.	डिब्लिन	120	अरुणाचल प्रदेश	मेसर्स केएसके डिब्लिन हाइड्रो पावर प्रा. लि.	04.12.2009	चरण-॥ वन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई
7.	देमवे लोअर	1750	अरुणाचल प्रदेश	मेसर्स अथेना देमवे पावर प्रा. लि.	20.11.2009	चरण-॥ वन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई
8.	लोअर सियांग	2700	अरुणाचल प्रदेश	मेसर्स जय प्रकाश अरुणाचल पावर लि.	16.02.2010	चरण-॥ वन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई
9.	नियामजांगछु	780	अरुणाचल प्रदेश	मेसर्स एनजेसी हाइड्रो पावर लि.	24.3.2011	चरण-॥ वन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई
10.	नाफरा	120	अरुणाचल प्रदेश	मेसर्स एसईडब्ल्यू नाफरा पावर कॉर्पो. प्रा. लि.	11.02.2011	चरण-॥ वन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई
11.	टैटो	700	अरुणाचल प्रदेश	मेसर्स टाटो हाइड्रो पावर प्रा. लि.	22.5.2011	वन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुआ
12.	गोंगरी	144	अरुणाचल प्रदेश	मेसर्स दिरांग इनर्जी प्रा. लि.	04.02.2013	पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त नहीं हुआ
13.	मियार	120	हिमाचल प्रदेश	मेसर्स एमएचपीसीएल	07.2.2013	चरण-॥ वन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई
14.	हिरोंग	500	अरुणाचल प्रदेश	मेसर्स जेपी अरुणाचल पावर लि.	26.11.2012 (१)	(१) सहमति बैठक का पत्र जारी होना है ।
15.	इटालिन	3097	अरुणाचल प्रदेश	मेसर्स इटालिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पो. लि.	31.3.2013 (१)	(१)सहमति बैठक हुई पत्र जारी किया होना है ।
16.	रैटल	850	जम्मू एवं कश्मीर	मेसर्स जीवीके रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट प्रा. लि.	19.12.2012	पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई
	कुल	11919				

|||||||

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1646.

जिसका उत्तर 07 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब

अ1646 श्री ई.जी. सुगावनम :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या देश की बहुत-सी विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब हो रहा है ;
- (ख) यदि हां, तो अनुमानित लागत, उत्पादन क्षमता और चरण-वार पूर्ण होने, प्रत्येक योजना के कार्यान्वयन में विलंब के परिणाम स्वरूप लागत में बढ़ोतरी का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने सभी निर्माणाधीन और नई परियोजनाओं को समय पर चालू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ङ).- ताप और जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के संबंध में परियोजना-वार लागत वृद्धि का ब्यौरा क्रमशः अनुबंध ~~रु~~ और अनुबंध ~~रु~~ पर संलग्न है।

सरकार द्वारा लागत वृद्धि रोकने और विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए विद्युत परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से चालू किए जाने में तीव्रता लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल विद्युत विकास से संबंधित सभी मामलों, जिसमें परियोजना प्रभावित लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन मामले शामिल हैं, की जांच करने के लिए जलविद्युत परियोजना विकास पर कार्यबल का गठन, पूर्वोत्तर क्षेत्र में जलविद्युत विकास का मार्गदर्शन करने और इसमें तेजी लाने के लिए एक उपयुक्त ढांचा तैयार करने के लिए अंतर्मंत्रालयी समूह (आईएमजी) का गठन, परियोजनाओं का कार्यान्वयन समय पर सुनिश्चित करने के लिए हाइड्रो/थर्मल परियोजनाओं का स्वतंत्र रूप से अनुपालन करने और प्रगति की निगरानी करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा विद्युत परियोजना मॉनीटरिंग पैनल का गठन और माननीय विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में विद्युत क्षेत्र से संबंधित आवधिक मामलों पर चर्चा और विचार-विमर्श करने तथा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में सुधार का सुझाव देने के लिए सलाहकार समूह का गठन करना शामिल है।

लोकसभा में दिनांक 07.03.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1646 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

निर्धारित कार्यक्रम में शुरू होने वाली निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं के पिछडने के कारण सहित ब्यौरा

राज्य	परियोजना नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेवा)	वास्तविक शुरुआती	चालू किए जाने का प्रत्याशित कार्यक्रम	वास्तविक लागत (करोड रु. में)	अद्यतन लागत (करोड रु. में)	लागत आधिक्य (करोड रु. में)
	केंद्रीय क्षेत्र							
आसाम	बोगई गांव टीपीपी	यू-1	250	जनवरी-11	जून -14	4375.35	4375.35	0
		यू-2	250	मई-11	मई -15			
		यू-3	250	सितम्बर-11	अक्टूबर -15			
बिहार	बारह एसटीपीपी-1	यू-1	660	अक्टूबर-13	जून -15	8693	8693	0
		यू-2	660	अप्रैल-14	अप्रैल -16			
		यू-3	660	अक्टूबर-14	फरवरी -17			
बिहार	बारह एसटीपीपी -2	यू-4	660	दिसंबर-12	अक्टूबर -13	7341.04	7341.04	0
		यू-5	660	अक्टूबर-13	सितंबर -14			
बिहार	मुजफ्फपुर टीपीपी एक्स. (कांती टीपीपी च.-II)	यू-3	195	अक्टूबर-12	जून -14	3154.33	3154.33	0
		यू-4	195	जनवरी -13	सितंबर -14			
बिहार	नबी नगर टीपीपी	यू-1	250	मई-13	जुलाई -14	5352.51	5352.51	0
		यू-2	250	सितंबर-13	जनवरी -15			
		यू-3	250	जनवरी -14	जुलाई -15			
		यू-4	250	मई-14	जनवरी -16			
झारखंड	बोकारो टीपीएस "क" एक्स.	यू-1	500	दिसंबर-11	अगस्त -14	2313	3552.18	1239.18
महाराष्ट्र	मौडा टीपीपी	यू-2	500	अक्टूबर-12	मार्च -13	5459.28 (2 यूनिट)	6010.89 (2 यूनिट)	551.61
मध्य प्रदेश	विन्ध्याचल टीपीपी-IV	यू-12	500	दिसंबर-12	मार्च -13	5915 (2 यूनिट)	5915 (2 यूनिट)	0
तमिलनाडु	नेवली टीपीएस-II एक्स.	यू-2	250	जून-09	मार्च -14	2030.78 (2 यूनिट)	3027.59 (2 यूनिट)	996.81
तमिलनाडु	तूतीकोरिन सं.उ.टीपीपी	यू-1	500	मार्च-12	दिसंबर -13	4909.54	6478.92	0
		यू-2	500	अगस्त-12	मार्च -14			
तमिलनाडु	वल्लूर टीपीपी च.-II	यू-3	500	दिसंबर-12	सितंबर -13	3086.78	3086.78	0
त्रिपुरा	मानार्चक सीसीपीपी	जीटी+एसटी	101	जुलाई-13	मई -14	623.44	623.44	0
त्रिपुरा	त्रिपुरा गैस	मोड्यूल-1	363.3	दिसंबर -11	03.01.13ए	3429	3429	0
		मोड्यूल-2	363.3	मार्च-12	जुलाई -13			0
उत्तर प्रदेश	रिहन्द टीपीएस- III	यू-6	500	दिसंबर-12	नवंबर -13	6230.81 (2 यूनिट)	6230.81 (2 यूनिट)	0
पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर टीपीपी, च.-I	यू-1	600	फरवरी-11	जुलाई -13	4122	6745	2623
		यू-2	600	मई-11	अप्रैल -14			
	राज्य क्षेत्र							
आंध्र प्रदेश	दामोदरम संजीवैह टीपीपी	यू-1	800	जुलाई-12	मई -14	8432	8654	222

		यू-2	800	जनवरी -13	नवंबर -14			
आंध्र प्रदेश	काकातिया टीपीपी एक्स	यू-1	600	जुलाई-12	मई -14	2968.64	3466	497.36
आंध्र प्रदेश	रायलसीमा चरण-III	यू-6	600	जुलाई-14	दिसंबर -15	3028.86	3525	496.14
आसाम	नामरूप सीसीजीटी	जीटी	70	सितंबर-11	सितंबर -13	411	693.73	282.73
		एसटी	30	जनवरी -12	दिसंबर -13			
छत्तीसगढ़	कोरबा पश्चिम च.-III.	यू -5	500	मई-12	मार्च -13	2309.34	3156	846.66
छत्तीसगढ़	मारवा टीपीपी	यू -1	500	मई-12	जून -13	4735	6318	1583
		यू-2	500	जुलाई-12	अक्टूबर -13			
दिल्ली	प्रगति सीसीजीटी - III	जीटी -4	250	सितंबर-10	अप्रैल -13	5195.81 (4 जीटी + 2 एसटी)	5195.81 (4 जीटी + 2 एसटी)	0
		एसटी-2	250	नवंबर-10	जुलाई -13			
गुजरात	पीपावाव सीसीपीपी	ब्लॉक-1	351	सितंबर-10	जुलाई -13	2354.29	2545.58	191.29
		ब्लॉक-2	351	नवंबर-10	मार्च -13			
गुजरात	सिक्का टीपीपी एक्सटेशन	यू-3	250	अक्टूबर-13	नवंबर -13	2004	2356	352
		यू-4	250	जनवरी -14	फरवरी -14			
गुजरात	उकई टीपीपी एक्स.	यू-6	500	जनवरी -11	मार्च -13	1950	2135	185
गुजरात	भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	यू-1	250	अक्टूबर-13	अक्टूबर -14	3742.08	3742.08	0
		यू-2	250	दिसंबर-13	फरवरी -15			
महाराष्ट्र	चन्द्रपुर टीपीएस	यू-8	500	जून-12	सितंबर -13	5500	5500	0
		यू-9	500	सितंबर-12	दिसंबर -13			
महाराष्ट्र	कोरडी टीपीपी एक्स	यू-8	660	दिसंबर-13	मई -14	11880	11880	0
		यू-9	660	जून-14	अक्टूबर -14			
		यू-10	660	दिसंबर-14	मार्च -15			
महाराष्ट्र	पार्ली टीपीपी एक्स..	यू-8	250	जनवरी -12	दिसंबर -13	1375	1696.24	321.24
मध्य प्रदेश	मालवा टीपीपी (श्री सिंगाजी टीपीपी)	यू-1	600	जून-12	जून -13	4053	6750	2697
		यू-2	600	अक्टूबर-12	दिसंबर -13			
मध्य प्रदेश	सतपुडा टीपीपी एक्स	यू-10	250	फरवरी-12	मार्च -13	2350	3032.34	682.34
		यू -11	250	अप्रैल-12	जुलाई -13			
राजस्थान	छाबडा टीपीपी एक्स.	यू -3	250	मई-11	मई -13	2200	2200	0
		यू-4	250	जुलाई-11	सितंबर -13			
राजस्थान	कालीसिंध टीपीएस	यू -1	600	अगस्त-11	अगस्त -13	4600	5500	900
		यू -2	600	मार्च-12	दिसंबर -13			
राजस्थान	रामगढ सीसीपीपी एक्स-III	जीटी	110	मई-11	मार्च -13	640	640	0
		एसटी	50	अक्टूबर-11	अगस्त -13			
तमिलनाडु	उत्तरी चेन्नई टीपीपी एक्स,	यू-1	600	अप्रैल-11	जुलाई -13	3398	3552	154
		यू-2	600	नवंबर-11	मार्च -13			
उत्तर प्रदेश	अनपरा डी	यू- 6	500	मार्च-11	फरवरी -14	5358.79	5358.79	0
		यू-7	500	जून-11	जून -14			

उत्तर प्रदेश	परीच्छा एक्स	यू-6	250	नवंबर-09	मार्च -13	1900 (2 यूनिट)	2356 (2 यूनिट)	456
	निजी क्षेत्र							
आंध्र प्रदेश	भावनपडु टीपीपी	यू-1	660	अक्टूबर-13	अक्टूबर -15	6571.94	6571.94	0
		यू-2	660	मार्च-14	मार्च -16			
आंध्र प्रदेश	एनसीसी टीपीपी	यू-1	660	मार्च-15	मार्च -16	7046	7046	0
		यू-2	660	जून-15	सितंबर -16			
आंध्र प्रदेश	पैनमपुरम टीपीपी	यू-1	660	मई-14	सितंबर -14	6869	6869	0
		यू-2	660	अगस्त-14	दिसंबर -14			
आंध्र प्रदेश	सीम्हापुरी एनर्जी प्रा.लि. च. II	यू-3	150	दिसंबर-11	जून -13	1605.9	1605.9	0
		यू-4	150	फरवरी-12	सितंबर -15			
आंध्र प्रदेश	थम्मीनापटनम टीपीपी -I	यू-2	150	नवंबर-11	मार्च -13	1420 (2 यूनिट)	1428 (2 यूनिट)	8
आंध्र प्रदेश	थम्मीनापटनम टीपीपी --II	यू-3	350	मई-12	अक्टूबर -14	3120	3700	580
		यू-4	350	अगस्त-12	जनवरी -14			
आंध्र प्रदेश	वाइजैग टीपीपी	यू-1	520	जून-13	फरवरी -14	5545	5545	0
		यू-2	520	सितंबर-13	जून -14			
छत्तीसगढ़	अकलतारा (नईयारा) टीपीपी	यू-1	600	अप्रैल-12	जून -13	16190 (6 यूनिट की लागत)	16190 (6 यूनिट की लागत)	0
		यू-2	600	अगस्त-12	अक्टूबर -13			
		यू-3	600	दिसंबर-12	जून -14			
		यू-4	600	अप्रैल-13	अगस्त -14			
छत्तीसगढ़	अवंथा भंदर टीपीएस, यू-1	यू-1	600	जुलाई-12	सितंबर -13	2872	3850	978
छत्तीसगढ़	बाराडारा टीपीपी (डीबी पा. टीपीपी)	यू-1	600	मार्च-13	अगस्त -13	6533	6640	107
		यू-2	600	जुलाई-13	जनवरी -14			
छत्तीसगढ़	बाल्को टीपीपी	यू-1	300	फरवरी-11	मार्च -14	4650 (4 यूनिट की लागत)	4650 (4 यूनिट की लागत)	0
		यू-2	300	नवंबर-10	जनवरी -14			
छत्तीसगढ़	बंदकहार टीपीपी	यू-1	300	दिसंबर-12	अगस्त -14	1456	1456	0
छत्तीसगढ़	बिंजकोट टीपीपी	यू-1	300	अगस्त-14	सितंबर -14	5058	6848.1	1790.1
		यू-2	300	नवंबर-14	दिसंबर -14			
		यू-3	300	फरवरी-14	मार्च -15			
		यू-4	300	मई-14	जून -15			
छत्तीसगढ़	लैंको अमरकंटक टीपीएस- II	यू-3	660	जनवरी -13	मई -14	6886	7700	814
		यू-4	660	मार्च-13	सितंबर -14			
छत्तीसगढ़	राइखेड़ा टीपीपी	यू-1	685	सितंबर-13	मई -14	8290	8290	0
		यू-2	685	जनवरी -14	नवंबर -14			
छत्तीसगढ़	सिंहितारई टीपीपी	यू-1	600	जून-14	फरवरी -15	4650	6200	1550
		यू-2	600	सितंबर-14	मई -15			
छत्तीसगढ़	स्वास्तिक टीपीपी	यू-1	25	जून-12	मई -13	136	142	6
छत्तीसगढ़	तामनर टीपीपी (ओ.पी.जिंदल)	यू-1	600	जनवरी -14	फरवरी -14	12800 (4 यूनिट)	12800 (4 यूनिट)	0
		यू-2	600	अप्रैल-14	जून -14			
		यू-3	600	सितंबर-14	मार्च -15			
		यू-4	600	नवंबर-14	अक्टूबर -15			
छत्तीसगढ़	टीआरएन एनर्जी टीपीपी	यू-1	300	दिसंबर-13	अगस्त -14	2844	2844	0
		यू-2	300	अप्रैल-14	दिसंबर -14			
छत्तीसगढ़	उचपिंडा टीपीपी	यू-1	360	मई-12	अक्टूबर -13	6653.61	6653.61	0
		यू-2	360	नवंबर-12	जनवरी -14			

		यू-3	360	फरवरी-13	अप्रैल -14			
		यू-4	360	जुलाई-13	जुलाई -14			
छत्तीसगढ़	वंदना विद्युत टीपीपी- छत्तीसगढ़	यू-1	135	जुलाई-11	मार्च -13	1458.44	1458.44	0
		यू-2	135	सितंबर-11	अगस्त -13			
झारखंड	महादेव प्रसाद एसटीपीपी चरण-I	यू-2	270	मार्च-12	जुलाई -13	3151 (2 यूनिट)	3151 (2 यूनिट)	0
झारखंड	मैत्रिणी उषा टीपीपी - चरण-I	यू-1	270	मई-12	जुलाई -13	2900	2900	0
		यू-2	270	जून-12	नवंबर -13			
झारखंड	मैत्रिणी उषा टीपीपी चरण-II	यू-3	270	फरवरी-13	जनवरी -14	3182	3182	
		यू-4	270	मार्च-13	मार्च -14			
झारखंड	तोरि टीपीपी	यू-1	600	जून-13	अप्रैल -15	5700	5700	0
		यू-2	600	जून-14	अगस्त -15			
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी चरण-I	यू-1	270	दिसंबर-11	मार्च -13	6889	6889	0
		यू-2	270	दिसंबर-11	जून -13			
		यू-3	270	जनवरी-12	सितंबर -13			
		यू-4	270	फरवरी-12	दिसंबर -13			
		यू-5	270	मार्च-12	मार्च -14			
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी चरण-II	यू-1	270	जुलाई-14	*	6646	6646	0
		यू-2	270	सितंबर-14	*			
		यू-3	270	नवंबर-14	*			
		यू-4	270	जनवरी-15	*			
		यू-5	270	मार्च-15	*			
महाराष्ट्र	बेला टीपीपी-I	यू-1	270	दिसंबर-11	मार्च -13	1477	1768	291
महाराष्ट्र	धारीवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर टीपीपी	यू-1	300	फरवरी-12	अप्रैल -13	2850	2878	28
		यू-2	300	मई-12	अगस्त -13			
महाराष्ट्र	एमको वारोरा टीपीपी	यू-2	300	अप्रैल-12	जून -13	3480	3480	0
महाराष्ट्र	लेंको विदर्भ टीपीपी	यू-1	660	जनवरी-14	सितंबर -14	6936	6936	0
		यू-2	660	मार्च-14	जनवरी -15			
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी चरण-I	यू-1	270	फरवरी-12	मई -13	6789	6789	0
		यू-2	270	अप्रैल-12	अगस्त -13			
		यू-3	270	जून-12	नवंबर -14			
		यू-4	270	अगस्त-12	जनवरी -15			
		यू-5	270	अप्रैल-12	मार्च -15			
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी चरण-II	यू-1	270	अप्रैल-13	*	6789	6789	0
		यू-2	270	जून-13	*			
		यू-3	270	अगस्त-13	*			
		यू-4	270	अक्टूबर-13	*			
		यू-5	270	दिसंबर-13	*			
महाराष्ट्र	तिरोरा टीपीपी चरण-I	यू-2	660	जुलाई-11	मार्च -13	6560 (2यूनिट)	7309 (2 यूनिट)	749
महाराष्ट्र	तिरोरा टीपीपी चरण-II	यू-1	660	अक्टूबर-11	अप्रैल -13	8993	9635	642
		यू-2	660	जुलाई-12	अगस्त -13			
		यू-3	660	अक्टूबर-12	नवंबर -13			
मध्य प्रदेश	अनूपुर टीपीपी चरण-I	यू-1	600	अप्रैल-13	जुलाई -13	6240	6240	0
		यू-2	600	अगस्त-13	फरवरी -15			
मध्य प्रदेश	बीना टीपीपी	यू-2	250	नवंबर-11	मार्च -13	2750 (2 यूनिट)	2750 (2 यूनिट)	0
मध्य प्रदेश	गॉर्गी टीपीपी (डी बी पावर)	यू-1	660	जून-13	जून -16	6640 (2 यूनिट)	6640 (2 यूनिट)	0

मध्य प्रदेश	माहन टीपीपी	यू-2	600	सितंबर-11	मई -13	4860 (2 यूनिट)	4860 (2 यूनिट)	0
मध्य प्रदेश	निगरी टीपीपी	यू-1	660	जून-13	मार्च -14	8100	8100	0
		यू-2	660	दिसंबर-13	जून -14			
मध्य प्रदेश	सियोनी टीपीपी चरण-I	यू-1	600	मार्च-13	जनवरी -14	2910	2910	0
उड़ीसा	दिरंग टीपीपी	यू-1	600	मार्च-12	नवंबर -13	5961	5961	0
		यू-2	600	जून-12	फरवरी -14			
उड़ीसा	इंड भारत टीपीपी(उड़ीसा)	यू-1	350	सितंबर-11	सितंबर -13	3185	3185	0
		यू-2	350	दिसंबर-11	दिसंबर -13			
उड़ीसा	कामालंगा टीपीपी	यू-1	350	नवंबर-11	मार्च -13	4540	5268	728
		यू-2	350	दिसंबर-11	जून -13			
		यू-3	350	फरवरी-12	सितंबर -13			
उड़ीसा	केवीके नीलांचल टीपीपी	यू-1	350	दिसंबर-11	जनवरी -14	4990	4990	0
		यू-2	350	जनवरी-12	अगस्त -15			
		यू-3	350	मार्च-12	अक्टू.-15			
उड़ीसा	लेंको बाबंध टीपीपी	यू-1	660	अप्रैल-13	मा.-14	6930	6930	0
		यू-2	660	अगस्त-13	जु.-14			
उड़ीसा	मालीब्राहमनी टीपीपी (मोनेट इस्पात)	यू-1	525	दिसंबर-12	मई-14	5093 (2 यूनिट)	5093 (2 यूनिट)	0
पंजाब	तलबंडी साबो टीपीपी	यू-1	660	अक्टूबर-12	दिसं.-13	10250	10250	0
		यू-2	660	जनवरी-13	अप्रै.-14			
		यू-3	660	मई-13	जु.-14			
राजस्थान	जलिपा कपूरडी टीपीपी	यू-6	135	अगस्त-10	**	5075 (8 यूनिट)	6085 (8 यूनिट)	1010
		यू-7	135	सितंबर-10	**			
		यू-8	135	मार्च-11	**			
राजस्थान	कवाई टीपीपी	यू-1	660	दिसंबर-12	मा.-13	7020	7020	0
		यू-2	660	मार्च-13	जु.-13			
उत्तर प्रदेश	प्रयागराज टीपीपी	यू-1	660	फरवरी-14	जु.-14	11622.3	11622.3	
		यू-2	660	जुलाई-14	नव.-14			
		यू-3	660	दिसंबर-14	मा.-15			
तमिलनाडु	मेलामरुथर टीपीपी	यू-1	600	फरवरी-12	जुल.-13	4800	5158	358
		यू-2	600	मार्च-12	सितं.-13			
तमिलनाडु	तुतिकोरिन टीपीपी (इंड - बारथ टीपीपी)	यू-1	660	मई-12	मा.-16	3595	3595	0

* कार्यस्थल पर कोई कार्य नहीं चल रहा है। स्थल पर कार्य पुनः शुरू होने के पश्चात चालू होने की तिथि निर्धारित की जाएगी।

** जालिपा खदानों के विकास में देरी के कारण चालू किए जाने की तिथि का निर्धारण जालिपा खदानों के विकास के बाद अथवा विद्यमान खदानों से उत्पादन बढ़ाने की अनुमति मिलने के बाद किया जाएगा।

अनुबंध-II

लोकसभा मे दिनांक 07.03.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1646 के भाग (क) से

(ड) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

समय/लागत आधिक्य वाली जल विद्युत परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम, क्षमता	संभावित कमीशनिंग कार्यक्रम		परियोजना लागत, करोड़ रुपये में, मूल्य स्तर		लागत आधिक्य करोड़ रुपये
		आरंभिक महीना/वर्ष	अद्यतन महीना/वर्ष	आरंभिक	अद्यतन	
1	कोल बांध (4x200एमडब्ल्यू) एच.पी.	अप्रैल-09 2008-10	2014-15	4527.15 (12/01)	6358.91 (12/01)	1831.76
2	तपोवन विष्णुगढ़ (4x130 एमडब्ल्यू) उत्तराखंड	मार्च 13 2012-13	2015-16	2978.48	2978.48	शून्य
3	पारे (2x55एमडब्ल्यू) एआर.पीडी	अगस्त-12 2012-13	2014-15	573.99 (06/07)	573.99 (06/07)	शून्य
4	तुरियल (2x30 एमडब्ल्यू) मिजोरम	जुलाई-06 2006-07	2016-17	368.72 (06/97)	913.63 (03/10)	544.91
5	कमेंग (4x150 एमडब्ल्यू) एआर. पीडी	दिसंबर 09 2009-10	2016-17	2496.90 (03/04)	5139.00	2643.90
6	टिहरी पीएसएस (4x250 एमडब्ल्यू) उत्तराखंड	जुलाई- 10 2010-11	2017-18	1657.60 (12/05)	2978.86 (04/10)	1321.26
7	रामपुर (6x68.67 एमडब्ल्यू) हिमाचल प्रदेश	जनवरी-12 2011-12	2013-15	2047.03	2047.03	शून्य
8	पार्वती-III (4x130 एमडब्ल्यू) एचपी	नवंबर-10 2010-11	2012-14	2304.56 (05/05)	2716.00	411.44
9	निमौ बेजगो (3x15 एमडब्ल्यू) जम्मू एवं कश्मीर	अगस्त-10 2010-11	2013-14	611.01 (12/2005)	936.10 (अनुमानित)	325.09
10	तीस्ता लो डैम-III (4x33 एमडब्ल्यू) पश्चिम बंगाल	मार्च-07 2006-07	2012-14	768.92 (12/02)	1628 (अनुमानित)	859.08
11	तीस्ता लो डैम-आईवी (4x40 एमडब्ल्यू) डब्ल्यू बी	सितंबर-09 2009-10	2014-15	1061.38 (03/05)	1502.0	440..62

12	पार्वती - II (4x200 एमडब्ल्यू) हिमाचल प्रदेश	सितंबर-09 2009-10	2016-17	3919.59 (12/01)	5366 (अनुमानित)	1446.41
13	सूबनसिरी लोअर (8x250 एमडब्ल्यू) एआर.पीडी./ आसाम	सितंबर-10 2010-11	2016-18	6285.33 (12/02)	10667 (आकस्मिक)	4381.67
14	उरई-II (4x60 एमडब्ल्यू) जम्मू एवं कश्मीर	नवंबर-09 2009-10	2012-13	1724.79 (02/05)	2081 (अनुमानित)	356.21
15	किशनगंगा 3 x110 एमडब्ल्यू जम्मू एवं कश्मीर	जनवरी-16 2015-16	2016-17	3642.04 (11/07)	3642.04 (11/07)	शून्य
राज्य क्षेत्र						
जम्मू और कश्मीर						
16	बगलिहर-II (3x150 एमडब्ल्यू)	2014-15	2016-17	2113.09	2113.09	शून्य
हिमाचल प्रदेश						
17	कसांग-I (1x65एमडब्ल्यू)	2013-14	2014-15	1078.00	1078.00	शून्य
18	कसांग-II और III (1x65 + 1x65 एमडब्ल्यू)	2013-14	2015-16			
19	यूएचएल-III (3x33.33 एम डब्ल्यू)	मार्च-07 2006-07	2014-15	431.56 (09/02)	940.84 (03/08)	509.28
20	सौरा कुड्डु (3x37एमडब्ल्यू)	दिसंबर-10 2010-11	2014-15	558.53	1181.90 (03/12)	623.37
21	सैज(100 एमडब्ल्यू)	2013-14	2014-15	725.24	725.24	शून्य
आंध्र प्रदेश						
22	लोअर जुराला (6x40 एमडब्ल्यू)	2011-12	2014-16	908.34 (2007)	1474.83	566.49
23	पुलिंचिताला (4x30एमडब्ल्यू)	2011-12	2015-17	380.00 (2006-07)	396.00	16.00
24	नागार्जुन सागर तैल पूल बांध (2x25 एमडब्ल्यू)	नवंबर-08 2008-09	2014-15	464.63 (2002-03)	958.67	494.04
तमिलनाडु						
25	भवानी कट्टालई एच.ई प्रोजेक्ट बारेज II (2x15 एमडब्ल्यू)	मार्च-06 2005-06	2012-13	99.15 (95-96)	497.46	301.44
26	भवानी कट्टालई एच.ई प्रोजेक्ट बारेज III (2x15 एमडब्ल्यू)	मार्च-06 2005-06	2012-14	99.75 (99-00)	442.73	342.98
केरल						
27	पाल्लीवासल 2x30एमडब्ल्यू	अक्टूबर -10 2010-11	2014-15	222.00 (1999)	268.02	46.02
28	थोटियर (1x30+1x10)एमडब्ल्यू	2012-13	2015-16	136.79 (2007)	144.58	5.7
मेघालय						

29	न्यू उम्तरू 2x20एमडब्ल्यू)	2011-12	2014-15	226.40	226.40	शून्य
30	मांटडू (2x42एमडब्ल्यू)+ (1x42 एमडब्ल्यू)	2006-07	2011-13	363.08 (01/99) आईडीसी और एफसी शामिल	1173.13 (2010) आईडीसी और एफसी शामिल	810.05
निजी क्षेत्र						
हिमाचल प्रदेश						
31	तिडोंग-I 2x50एम डब्ल्यू	2013-14	2015-16	543.15	543.15	शून्य
32	तांगनु रोमाई-I (2x22 एमडब्ल्यू)	2014-15	2015-16	255.00	255.0	शून्य
33	सोरंग (2x50एमडब्ल्यू)	2012-13	2013-14	586.00	586.00	शून्य
उत्तराखंड						
34	श्रीनगर (4x82.5एम डब्ल्यू)	2005-06	2013-15	1699.12 (3/99)	2069.00	369.88
35	सिंगोली भा ..-टवॉरी 3x33 एमडब्ल्यू)	2014-15	2015-16	666.47	666.47	शून्य
मध्य प्रदेश						
36	माहेश्वर (10x40 एमडब्ल्यू)	2001-02	2013-15	1569.27 (96-97)	2760.00 (2010)	1190.73
सिक्किम						
37	चुजेचेन (2x49.5 एमडब्ल्यू)	सितंबर-09 2009-10	2013-14	448.76 (2004)	1044.50	595.74
38	तीस्ता स्टेज III (6X200 एमडब्ल्यू)	अक्टूबर-11 2011-12	2014-15	5705.55	5705.55	शून्य
39	तीस्ता स्टेज VI (4X125एमडब्ल्यू)	2012-13	2015-16	3283.08	3283.08	शून्य
40	रंजित-IV एचई प्रोजेक्ट (3X40 एमडब्ल्यू)	2012-13	2014-15	726.16	726.16	शून्य
41	जोरन्थंग लूप (2x28 एमडब्ल्यू)	दिसंबर 12 2012-13	2014-15	543.15	543.15	शून्य
42	भासमे (2x25.5 एमडब्ल्यू)	2012-13	2015-16	408.50	408.50	शून्य

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1663.

जिसका उत्तर 07 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम

1663. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) का कार्यान्वयन किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत आरम्भ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या महाराष्ट्र में कार्यक्रम का उचित कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है और कार्यक्रम के अंतर्गत सभी परियोजनाओं में विलंब हो रहा है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में महाराष्ट्र में कार्यक्रम के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख):जी, हां। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने महाराष्ट्र में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) का कार्यान्वयन किया है। महाराष्ट्र राज्य के लिए आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत, 3954.80 करोड़ रुपये के मूल्य की परियोजनाओं में भाग-क(आईटी) 324.44 करोड़ रुपये जिसमें 130 नगर शामिल हैं, भाग-क, स्काडा : 8 नगरों सहित 161.62 करोड़ रुपये, भाग-ख 123 नगरों को शामिल करते हुए 3468.74 करोड़ रुपये को मंजूरी प्रदान की गई है।

आर-एपीडीआरपी कार्यक्रम के भाग-क(आईटी), भाग-क (स्काडा) और भाग-ख के अंतर्गत महाराष्ट्र में मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा अनुबंध-२ में संलग्न है।

(ग) और (घ) : महाराष्ट्र राज्य में आर-एपीडीआरपी स्कीम के अंतर्गत मंजूर परियोजनाएँ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। महाराष्ट्र में आर-एपीडीआरपी कार्यान्वयन स्थिति निम्नवत है: -

- भाग-क(आईटी) के अंतर्गत, एमएसईडीसीएल ने सभी 130 नगरों में भाग-क (आईटी) के कार्यान्वयन के लिए आईटी कार्यान्वयन एजेंसी की नियुक्ति की है। कार्यान्वयन अंतिम

चरण में है और 10 नगर पूरे कर लिए गए हैं और यूटिलिटी द्वारा ' गो लाइव ' घोषित कर दिए गए हैं । आँकड़ा केन्द्र और आपदा राहत केन्द्र भी शुरू किए गए हैं ।

- भाग-क (स्काडा) के अंतर्गत, यूटिलिटी ने सभी 8 नगरों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में मैसर्स सीमेन्स की नियुक्ति की है और कार्यान्वयन प्रगति पर है ।
- भाग-ख के अंतर्गत, यूटिलिटी ने 120 नगरों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी की नियुक्ति की है और कार्यान्वयन प्रगति पर है ।

(ड): भाग-क और भाग-ख स्कीमों के लिए मानक परियोजना पूर्णतः चक्र परियोजनाओं की मंजूरी की तारीख से क्रमशः 24 माह और 36 माह है । वर्तमान में, आर-एपीडीआरपी स्कीमों कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है और इन्हें अभी पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाना है ।

आर-एपीडीआरपी दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्कीमों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य विद्युत यूटिलिटियों द्वारा किया जाना है । विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) नोडल एजेंसी की भूमिका दिशा-निर्देशों को तैयार एवं जारी करने डीपीआर फार्मेट उपलब्ध करवाने, भाग-क के लिए परामर्शक और कार्यान्वयन एजेंसियों को लगाने के लिए मॉडल बोली दस्तावेज, भाग-क के लिए परामर्शकों और कार्यान्वयन एजेंसियों की सूची बनाने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन, मंजूरी हेतु आर-एपीडीआरपी स्टियरिंग समिति के समक्ष उन्हें रखने और दिशा-निर्देशों के अनुसार वितरण उपलब्ध करवाने तक ही सीमित है ।

विद्युत मंत्रालय और पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड नोडल एजेंसी सभी राज्यों में आर-एपीडीआरपी परियोजना कार्यान्वयन की नियमित निगरानी भी करते हैं और स्कीम को प्रभावित करने वाले मामलों के संबंध में राज्य यूटिलिटियों/कार्यान्वयन एजेंसियों को सलाह भी देते हैं ।

7.03.2013 को लोकसभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1663 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

|||||||

आर-एपीडीआरपी, भाग (क) (आईटी) के अंतर्गत स्वीकृतियाँ

राज्य: महाराष्ट्र		
यूटिलिटी: महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्री.कं. लिमिटेड		
क) भाग-क (आईटी)	नगर का नाम	स्वीकृति राशि (रु.करोड़)
1	अमलनेर	0.84
2	अम्बेजोगिल	0.63
3	अर्वी	0.54
4	ओसा	0.37
5	बारामती	1.17
6	बारशी	0.65
7	चन्द्रपुर	2.13
8	चिपलूँ	0.67
9	चोपडा	0.57
10	देगलूर	0.72
11	धरनगांव	0.38
12	डोण्डाइची	0.40
13	गढचिरौली	0.98
14	गंगाखेड	0.41
15	गोंदिया	1.45
16	इस्लामपुर	0.90
17	जालना	1.38
18	जयसिंहपुर	1.13
19	जितुर	0.38
20	कम्पटी	0.89
21	कोपरगांव	0.63
22	लातूर	1.79
23	माजलगांव	0.43
24	मालेगांव	1.45
25	नागपुर	63.00
26	नासिक	10.88
27	ओजार	1.08
28	पंढरपुर	0.77
29	पभानी	1.84
30	पथरी	0.36
31	पूरना	0.31
32	रत्नागिरी	1.62
33	सैलू	0.40
34	संगाम्मर	0.90
35	सांगली	3.07
36	सतना	0.53
37	सतारा	1.76
38	शाहदा	0.90
39	सिल्लोड	0.61

40	सीरपुर	0.80
41	सोलापुर	4.96
42	तसगांव	0.35
43	तुलजापुर	0.66
44	उदगीर	0.95
45	वसई	0.46
46	यवल	1.42
47	अचलपुर सिटी	1.17
48	अहमदपुर	0.50
49	अहमेदनगर	2.63
50	अकोला	2.71
51	अकोट अरबन	0.87
52	अन्जनगांव	0.38
53	आस्था	0.42
54	औरंगाबाद	6.99
55	बालापुर	0.26
56	बासमठ	0.45
57	बीड	1.26
58	भद्रावती	0.55
59	भण्डारा	1.20
60	भुसावल	0.69
61	बृह्मपुरी	0.64
62	बुलढना	0.82
63	चालीसगांव	0.76
64	दहनू	1.03
65	देवलाली	1.42
66	धुले सिटी	3.25
67	इरनडोल	0.35
68	हिंगनघाट	0.69
69	हिंगोली	0.70
70	इगतपुरी	0.40
71	कन्नाड	0.31
72	करड	0.69
73	काटोल	0.52
74	खोपोली	0.56
75	कोल्हापुर अरबन	4.49
76	लोनावला	0.90
77	मन्माड	0.83
78	मोरशी	0.46
79	मुर्तिजापुर	0.48
80	नालसोपारा	0.52
81	नन्दरबार	1.14
82	नांदेड	2.36
83	नन्दुरा	0.36
84	नवी मुम्बई	48.32
85	निलंगा	1.18
86	ओसमानबाद	1.18
87	पंचोरा	0.77
88	पैठन	0.41

89	पालघर	1.02
90	पनवेल	3.72
91	पारली	0.65
92	परोला	0.44
93	पेन	0.96
94	फल्तान	0.61
95	पुलगांव	0.37
96	पुणे सिटी	22.60
97	शेगांव	0.46
98	सिनार -यू	1.06
99	तालेगांव	0.96
100	तुमसार	0.60
101	उमरेद	0.49
102	वैजापुर	0.38
103	वीटा	0.57
104	वाई	0.42
105	वर्धा	1.54
106	वरोडा	0.66
107	इयुला	0.42
108	अक्कलकोट	0.54
109	अमरावती	5.26
110	बल्लारपुर	0.52
111	चिखाली	0.70
112	दरयापुर	0.50
113	दौंड	0.65
114	दिगरास	0.61
115	इचलकरनजी	4.40
116	जलगांव	2.00
117	करंजा	0.65
118	खामगांव	1.18
119	मालकापुर	0.81
120	मेहकार	0.57
121	पुसाद	0.70
122	उमरखेड	0.34
123	उमर्गा	1.26
124	विरार	1.27
125	वदगांव	0.63
126	वानी	1.07
127	वरूद	0.45
128	वाशिम	0.86
129	यावतमाल	1.42
130	ग्रेटर मुम्बई	45.98
	कुल भाग-क (आईटी)	324.44

आरएपीडीआरपी, भाग (ख) के अंतर्गत स्वीकृतियाँ

राज्य: महाराष्ट्र		
यूटिलिटी: महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्री. कं. लिमिटेड		
क्र.सं.	नगर का नाम	स्वीकृति राशि (रु.करोड़)
1	अमलनेर	6.81

2	अम्बोजोगई	8.40
3	अर्वी	1.73
4	ओसा	4.97
5	बारामती	49.60
6	बारशी	8.02
7	चन्द्रपुर	23.01
8	चिपलू	22.81
9	चोपडा	6.96
10	देगलूर	8.17
11	धरनगांव	2.95
12	दोंदाइचा	7.52
13	गढचिरौली	8.99
14	गंगाखेड	5.23
15	गोंदिया	38.55
16	इस्लामपुर	25.88
17	जालना सिटी	87.62
18	जयसिंहपुर	7.14
19	जितुर	4.56
20	कम्टी	9.03
21	कोपरगांव	8.06
22	लातूर	48.84
23	माजलगांव	2.62
24	मालेगांव	34.94
25	नागपुर	296.86
26	पंढरपुर	30.00
27	पर्भानी	24.75
28	पथरी	3.65
29	पुरना	4.96
30	रत्नागिरी	17.24
31	सैलू	5.78
32	संगमनेर	9.29
33	सांगली	52.26
34	सतना	5.78
35	सतारा	8.00
36	शाहदा	7.80
37	सिल्लोड	11.85
38	शीरपुर	6.51
39	सोलापुर	128.47
40	तासगांव	3.95
41	तुलजापुर	5.37
42	उदगिर	13.60
43	वसई	32.88
44	यावल	4.44
45	अचलपुर	23.17
46	अहमदपुर	13.34
47	अहमदनगर	55.90
48	अकोला	107.65
49	अकोट	6.45
50	अंजनगांव	5.19

51	आस्था	17.60
52	बालापुर	1.00
53	बासमठ	6.47
54	बीड	56.23
55	भद्रावती	3.04
56	भण्डारा	5.74
57	भुसावल	24.91
58	बृह्मपुरी	2.40
59	बुलढना	10.38
60	चालीसगांव	10.20
61	दहनु	15.95
62	दिइयुली	10.25
63	धूले	26.09
64	इरानडोल	2.53
65	हिंगनघाट	7.42
66	हिंगोली	6.22
67	इगतपुरी	5.13
68	कन्नड	11.03
69	कराड	5.95
70	कतोल	4.44
71	खोपोली	20.50
72	कोल्हापुर	34.41
73	लोनावला	20.88
74	मन्माड	9.15
75	मोरशी	4.20
76	मुर्तिजापुर	6.30
77	नालसोपरा	27.00
78	नन्दुरबार	10.28
79	नांदेड	30.13
80	नन्दुरा	2.66
81	नीलांग	4.49
82	ओसमानाबाद	11.83
83	पचोरा	14.09
84	पैठान	5.51
85	पालघर	5.98
86	पारली	9.20
87	परोला	3.49
88	पेन	9.24
89	फल्तान	2.58
90	पुलगांव	2.14
91	शेगांव	4.18
92	तालेगांव	25.10
93	तुमसार	5.58
94	उमरेद	5.56
95	वैजापुर	3.96
96	वीटा	6.91
97	वाई	3.79
98	वर्धा	25.67
99	वरोरा	2.59

100	इयूला	6.68
101	अक्कालकोट	4.12
102	अमरावती	60.88
103	बल्लारपुर	1.70
104	चिखली	8.87
105	दरयापुर	7.41
106	दौंड	10.71
107	दिगरास	3.48
108	इचलकरंजी	79.37
109	जलगांव	60.50
110	करंजा	7.60
111	खामगांव	7.04
112	मलकापुर	8.97
113	मेहकर	3.71
114	पुसाद	13.84
115	उमेरखेड	3.68
116	उमर्गा	2.00
117	विरार	59.15
118	वडगांव	7.00
119	वानी	13.70
120	वरूद	3.75
121	वसीम	7.72
122	यवतमाल	25.02
123	ग्रेटर मुम्बई	1193.91
	कुल भाग (ख)	3468.74

आर-एपीडीआरपी, भाग-क, स्काडा के अंतर्गत स्वीकृतियाँ

राज्य: महाराष्ट्र		
यूटिलिटी: महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्री.कं. लिमिटेड		
क्र.सं.	नगर का नाम	स्वीकृति राशि (रु.करोड)
1	मालेगांव	8.03
2	नाशिक	20.35
3	सांगली	11.06
4	सोलापुर	12.16
5	कोल्हापुर	12.26
6	पुणे	50.11
7	अमरावती	11.07
8	ग्रेटर मुम्बई	36.58
या	कुल स्काडा	161.62

|||||||

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1664.

जिसका उत्तर 07 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

गैस आधारित संयंत्रों द्वारा विद्युत की बिक्री

+1664. श्री ए.साई प्रताप :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रियायती दरों पर गैस प्राप्त कर रहे गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को उत्पादित विद्युत को अत्यधिक कीमतों पर नहीं बेचने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त संयंत्रों में से कुछ संयंत्र सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे विद्युत संयंत्रों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सहित इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएम) ने दिनांक 24.02.2012 की अपनी बैठक में निर्णय लिया है कि 'विद्युत संयंत्रों को गैस की न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी (एनईएलपी) का वर्तमान और भावी आबंटन इस शर्त पर होना चाहिए कि आबंटित की गई गैस से उत्पादित संपूर्ण विद्युत, विद्युत संयंत्र के प्रशुल्क विनियामक द्वारा निर्धारित अथवा अपनाए गए प्रशुल्कों (बोली की स्थिति में) पर केवल वितरण लाइसेंसधारकों को ही बेची जाएगी। गैस की आपूर्ति केवल विद्युत क्रय करार (पीपीए) की अवधि के लिए की जाएगी और गैस की आपूर्ति केवल पीपीए पर हस्ताक्षर करने के बाद ही शुरू होगी। आरंभ में पीपीए केवल एक वर्ष (लघु अवधि पीपीए) के लिए होगा जिस दौरान गैस विनियामक द्वारा निर्धारित प्रशुल्क पर बेची जाएगी और बाद में पीपीए मध्यावधि अथवा दीर्घावधि के लिए होना चाहिए।' ईजीओएम ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एवं एनजी) को ऐसे किसी भी विद्युत संयंत्र (संयंत्रों), जो उपर्युक्त शर्तों को पूरा न करता हो, के वर्तमान आबंटन को निरस्त करने का अधिकार भी दिया है।

(ग) : मंत्रालय में विद्युत संयंत्रों द्वारा सरकार के निर्देशों का पालन न करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और न ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ऐसे किसी उत्क्रमण की सूचना दी है।

(घ) : उपर्युक्त (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-1671

जिसका उत्तर 07 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

ग्रामीण विद्युतीकरण

अ1671. श्री प्रहलाद जोशी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है तथा विद्युतीकृत गाँव की परिभाषा क्या है;
- (ख) क्या सरकार शत-प्रतिशत घरों में बिजली वाले गाँवों को विद्युतीकृत गांव के रूप में घोषित करने की योजना बना रही है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने विद्युतीकृत गांवों के स्तर की जांच के लिए कोई तंत्र बनाया है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

- (क)- वर्ष 2004-05 से किसी गांव को तभी विद्युतीकृत माना जाता है यदि:
- (i) बसे हुए स्थानों के साथ-साथ दलित बस्ती/टोला, जहां पर वे स्थित हैं, में वितरण ट्रांसफॉर्मर एवं वितरण लाइनों जैसी मूलभूत अवसंरचना उपलब्ध करवाई गई हो।
- (ii) सार्वजनिक स्थानों जैसे विद्यालयों, पंचायत कार्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, डिस्पेंसरियों, सामुदायिक केंद्रों आदि को विद्युत उपलब्ध करवाई गई हो, और
- (iii) विद्युतीकृत घरों की संख्या गांव में कुल घरों की संख्या की कम से कम 10 प्रतिशत होनी चाहिए।
- (ख)और(ग)- उपर्युक्त मानदंड के आधार पर गांव को विद्युतीकृत घोषित किया जाता है।
- (घ)- जी, नहीं ।
- (ङ)- प्रश्न नहीं उठता ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1673.

जिसका उत्तर 07 मार्च, 2013 को दिया जाना है ।

ऊर्जा सुरक्षा

अ1673. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऊर्जा स्रोतों की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है तथा देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विदेशी आस्तियां खरीदने में सक्षम रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के विद्युत उपक्रमों ने अन्य देशों में ऊर्जा भण्डारों के अधिग्रहण के लिए बोली लगाई है लेकिन वे उनके अधिग्रहण में असफल रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के अनुसार, 2016-17 के अंत तक प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों के लिए प्रक्षेपित माँग 937.26 मिलियन टन तेल के समतुल्य (एमटीओई) होगी । इस माँग की तुलना में, घरेलू उत्पादन से आपूर्ति इसी अवधि (2016-17) के दौरान 267.76 एमटीओई के ऊर्जा संसाधन आयात को अनिवार्य बनाते हुए 669.50 एमटीओई पर होने की सम्भावना है । आयात में 90 एमटीओई कोयला 152.44 एमटीओई पेट्रोलियम उत्पादों का शुद्ध आयात, 24 एमटीओई एलएनजी, और 0.52 एमटीओई जल विद्युत शामिल है । कूड ऑयल के उत्पादन को तेज करने और देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार/तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा विभिन्न उपाय किए गए हैं,, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:-

- (i) नई खोज लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) खुला क्षेत्र लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) के विभिन्न राउण्डों के अंतर्गत पेश करने के लिए अन्वेषण के लिए अधिक से अधिक क्षेत्रों की खोज करना ।
- (ii) नई तकनीकों जैसे कि होरीजोन्टल वेल ड्रिलिंग आदि का कार्यान्वयन ।

- (iii) वर्तमान क्षेत्रों से वसूली कारक को बनाने के लिए एन्हेन्सड ऑयल रिकवरी (ईओआर)/इम्प्रूव्ड ऑयल रिकवरी (आईओआर) का प्रयोग ।
- (iv) वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों जैसे कि कोयला बेड मीथेन (सीबीएम), शेल गैस/तेल और गैस हाइड्रेट आदि की खोज करना ।
- (v) तेल के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा विदेशी तेल और गैस परिसम्पतियों का अधिग्रहण करना ।

(ख) और (ग) : आज, भारत की तेल कम्पनियों 23 देशों (वियतनाम, रूस, सूडान, दक्षिण सूडान, म्यांमार, इराक, ईरान, मिस्र, सीरिया, क्यूबा, ब्राजील, कजाकस्तान, गेबन, कोलम्बिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला, यमन, आस्ट्रेलिया, पूर्वी तिमोर, इण्डोनेशिया, यूएसए, लीबिया और मोजाम्बिक) में मौजूद हैं । विदेशों में तेल के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा किया गया कुल निवेश 86,904 करोड़ रुपये है जिसमें सूडान और म्यांमार में दो पाइपलाइन परियोजनाएं शामिल हैं । ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) ने सूडान, वियतनाम, वेनेजुएला, रूस, सीरिया, कोलम्बिया, ब्राजील में अपनी विदेशी परियोजनाओं से 2011-12 में 8.75 मिलियन टन तेल और तेल के बराबर गैस (लगभग 10.5% घरेलू तेल और गैस उत्पादन के बराबर) उत्पादन किया था । 2020 तक, ओवीएल का लक्ष्य 20 एमएमटीओई और 2030 तक 35 एमएमटीओई के वार्षिक उत्पादन स्तर को प्राप्त करना है ।

कोल इण्डिया लिमिटेड को मोजाम्बिक में 5 वर्ष की अवधि के लिए 06.08.2009 से दो कोयला ब्लॉकों के लिए खोज लाइसेन्स आबंटित किया गया था । कोल इण्डिया अफ्रीकाना लिमिटेड (सीआईएएल), जो कि कोल इण्डिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व प्राप्त सहायक कम्पनी है, को खनन के प्रचालनीकरण हेतु मोजाम्बिक में अगस्त 2009 में पंजीकृत किया गया था । 12वीं योजना हेतु कोल इण्डिया लिमिटेड की विदेशी कोयला परिसम्पतियों के अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त अस्थायी प्रावधानों के लिए कुल पूँजी व्यय योजना 25,000 करोड़ रुपये है और मोजाम्बिक में कोयला ब्लॉक के विकास के लिए अतिरिक्त अस्थायी प्रावधान 10,000 करोड़ रुपये है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-1684

जिसका उत्तर 07 मार्च, 2013 को दिया जाना है ।

एनटीपीसी द्वारा विद्युत आपूर्ति को रोकना

1684. श्री पी. कुमार :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या भारतीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) ने विभिन्न वितरण कंपनियों को अपने बकाए का भुगतान न करने के कारण विद्युत आपूर्ति को रोकने का निर्णय लिया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या विभिन्न विद्युत वितरण कंपनियां एनटीपीसी के साथ हस्ताक्षरित विद्युत खरीद समझौते का अनुपालन करने में विफल हुई हैं; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख): कुछ विद्युत वितरण कंपनियों (ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है) के मामले में, एनटीपीसी ने विद्युत क्रय करार के प्रावधानों के अनुसार, बकाये का भुगतान न होने /अपेक्षित साख पत्र (एलसी) के उपलब्ध न होने के कारण विद्युत आपूर्ति के विनियमन के लिए विनियमन नोटिस भेजे हैं । तथापि विद्युत आपूर्ति नहीं रोकी गई थी ।

(ग) और (घ): कभी-कभी, कुछ विद्युत वितरण कंपनियाँ ड्र(ते)मेघालय एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड (एमईईसीएल), (त्त) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल), (त्त) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल), (त्त)जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल), (ध) बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल) तथा (ध्) बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल)ट मुख्य रूप से, निर्धारित तारीख तक भुगतान करने और पर्याप्त साख पत्र (एलसी) बनाए रखने में विद्युत क्रय करार के प्रावधान का अनुपालन करने में विफल रही हैं ।

दिनांक 7.03.2013 को लोकसभा में उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1684 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

एनटीपीसी द्वारा वित्त वर्ष 2012-2013 के दौरान जारी विनियम नोटिस का ब्यौरा

वित्त वर्ष 2012-13 में, एनटीपीसी ने निम्नलिखित यूटिलिटीयों को विद्युत आपूर्ति के विनियमन के लिए विनियमन नोटिस जारी किए हैं :

- (i) 6.92 करोड़ रुपये के बकाया देयों का भुगतान न करने और 8.81 करोड़ रुपये के एलसी का अनुरक्षण न करने के लिए 10.08.2012 से मेघालय एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड (एमईईसीएल) को विद्युत की 46.28 मेगावाट मात्रा के विनियमन के लिए दिनांक 06.08.2012 का विनियमन नोटिस ।
- (ii) 187.95 करोड़ रुपये के अपेक्षित साख पत्र (एलसी) का अनुरक्षण न करने पर 13.01.2013 से राजस्थान डिस्काम (जेवीवीएनएल/एवीवीएनएल/जेडीवीवीएनएल) को विद्युत की 1258 मेगावाट मात्रा को विनियमित करने हेतु दिनांक 09.01.2013 का विनियमन नोटिस।
- (iii) 27.36 करोड़ रुपये के साख पत्र में कमी के लिए 13.02.2013 से बीआरपीएल को विद्युत की 127 मेगावाट मात्रा को विनियमित करने के लिए दिनांक 08.02.2013 का विनियमन नोटिस ।
- (iv) 83.42 करोड़ रुपये के साख पत्र में कमी के लिए 13.02.2013 से बीवाईपीएल को विद्युत की 434 मेगावाट मात्रा के विनियमन हेतु दिनांक 08.02.2013 का विनियमन नोटिस ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1712.

जिसका उत्तर 07 मार्च, 2013 को दिया जाना है ।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत बीपीएल को मुफ्त बिजली

अ1712. श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट :

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :

श्री वरूण गांधी :

श्री जगदानंद सिंह :

श्री सुदर्शन भगत :

श्री जी.एम. सिद्धेश्वर :

श्री निलेश नारायण राणे :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों (बीपीएल) को मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने परिवारों तक बिजली पहुंचायी गयी है ;

(ग) क्या सरकार का विचार शेष बीपीएल परिवारों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए निधियां बढ़ाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख): भारत सरकार, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत गांवों/वास-स्थलों में ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आरईडीबी) सृजित करने के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान करती है । स्कीम के अंतर्गत 2,74,98,652 बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन जारी करने को शामिल करते हुए 648 परियोजनाएं संस्वीकृत की जा चुकी हैं । 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार, स्कीम के अंतर्गत 2,05,15,472 बीपीएल घरों को निशुल्क विद्युत के कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं । राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध पर है ।

(ग) से (ङ): सरकार का निधियों की उपलब्धता के अनुसार, शेष गांवों/वास-स्थलों तथा बीपीएल परिवारों को शामिल करने के लिए आरजीजीवीवाई को, 12वीं योजना में जारी रखने का प्रस्ताव है ।

लोकसभा में दिनांक 7.3.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1712 के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

|||||||

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत राज्यवार कवरेज तथा बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करना

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	बीपीएल घर	
			कवरेज।	संचयी उपलब्धि (31.01.2013 के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	26	2484665	2783390
2	अरुणाचल प्रदेश	16	40726	24615
3	असम	23	1150597	882554
4	बिहार	54	5658692	2305704
5	छत्तीसगढ़	18	987834	944103
6	गुजरात	25	742094	827788
7	हरियाणा	21	257273	194461
8	हिमाचल प्रदेश	12	13196	14753
9	जम्मू व कश्मीर	14	81217	51012
10	झारखंड	22	1803377	1283770
11	कर्नाटक	27	978219	856401
12	केरल	14	74571	52993
13	मध्य प्रदेश	52	1817544	942734
14	महाराष्ट्र	35	1202882	1180284
15	मणिपुर	9	107369	28814
16	मेघालय	7	109696	83067
17	मिजोरम	8	27417	15144
18	नागालैंड	11	69899	36062
19	ओडिशा	32	3045979	2802221
20	पंजाब	17	148860	79104
21	राजस्थान	40	1224417	1120242
22	सिक्किम	4	11458	9695
23	तमिलनाडु	29	527234	501202
24	त्रिपुरा	4	107506	97625
25	उत्तर प्रदेश	86	1907419	1042593
26	उत्तराखंड	13	238522	234593
27	पश्चिम बंगाल	29	2679989	2120548
	कुल	648	27498652	20515472

* आरजीजीवीवाई के चरण-रूढ़ के अंतर्गत स्वीकृत 72 परियोजनाओं के 4559141 बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन जारी करना शामिल है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1713.

जिसका उत्तर 07 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत की मांग और आपूर्ति

1713. श्री सोमेन मित्रा :

- श्री सुदर्शन भगत :
श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल :
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो :
श्री ए. सम्पत :
श्री ए.के.एस. विजयन :
श्री सुरेश काशीनाथ तवारे :
डॉ. बलीराम :
कुमारी सरोज पाण्डेय :
डॉ. एम. तम्बिदुरई :
श्री पी. करुणाकरन :
श्री रमाशंकर राजभर :
श्रीमती पुतुल कुमारी :
श्री कालीकेश नारायण सिंह देव :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान स्रोत, क्षेत्र और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार उत्पादित बिजली और अतिरिक्त विद्युत यदि कोई हो तो उत्पादन की कुल प्रमात्रा कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार देश में विद्युत मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विद्युत की कमी और विद्युत की बढ़ती मांग के कारण विभिन्न राज्य सरकारों से विद्युत के अतिरिक्त आवंटन हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) विभिन्न राज्यों को विद्युत की कम आपूर्ति के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)- देश में विभिन्न परंपरागत ऊर्जा स्रोतों अर्थात् ताप, हाइड्रो, न्यूक्लियर तथा भूटान से जल विद्युत के आयात द्वारा वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 (अप्रैल 2012 से जनवरी 2013 तक) सकल विद्युत उत्पादन क्रमशः 771.551 बीयू, 811.143 बीयू, 876.887 बीयू तथा 762.667 बीयू था।

सकल विद्युत उत्पादन का वर्षवार, स्रोतवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

स्रोत	सकल ऊर्जा उत्पादन (बीयू)			
	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*#
ताप	640.877	665.008	708.806	631.436
हाइड्रो	106.680	114.257	130.510	99.071
न्यूक्लियर	18.636	26.266	32.287	27.450
भूटान से आयात	5.358	5.611	5.284	4.710
कुल	771.551	811.143	876.887	762.667
* जनवरी, 2013 तक				
# माह जनवरी 2013 के अनंतिम आंकड़े शामिल हैं				

विद्युत उत्पादन का राज्यवार, स्रोतवार तथा क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) देश में, वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 (जनवरी, 2013 तक) के दौरान विद्युत आपूर्ति स्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं-

वर्ष	व्यस्ततम (मेगावाट)				ऊर्जा (एमयू)			
	व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	कमी		आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	
			मेगावाट	%			एमयू	%
2009-10	119116	104009	15157	12.7	830594	746644	83950	10.1
2010-11	122287	110256	12031	9.8	861591	788355	73236	8.5
2011-12	130006	116191	13815	10.6	937199	857886	79313	8.5
2012-13 (जनवरी, 2013 तक)*	135453	123294	12159	9.0	833230	759849	73381	8.8

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013) के दौरान राज्य-वार विद्युत आपूर्ति की स्थिति के विवरण **अनुबंध-II** पर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) चूंकि क्षेत्र के अधिकतर राज्य और संघ राज्य क्षेत्र विद्युत की कमी झेल रहे हैं, अतः विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समय-समय पर सीजीएस से अनावंटित विद्युत का अतिरिक्त आबंटन करने का अनुरोध करते हैं। सीजीएस की अनावंटित विद्युत की मात्रा सीमित होने के कारण, यह अन्य स्रोतों से उपलब्ध विद्युत का केवल अनुपूरण ही कर सकती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई संचयी मांग निरपवाद रूप से, उपलब्ध अनावंटित विद्युत से अधिक होती है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों की संपूर्ण अनावंटित विद्युत हर वक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित रहती है, अतः किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के आबंटन में वृद्धि करना अन्य राज्य (यों)/संघ राज्य क्षेत्र (त्रों) के आबंटन में समान मात्रा में कमी करके ही संभव हो सकता है। अतः अनावंटित विद्युत का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके अनुरोध की मात्रा के अनुसार आबंटन करना कई बार संभव नहीं होता है। 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार, सीजीएस से आबंटन के राज्य-वार विवरण **अनुबंध-III** पर संलग्न हैं।

(ड.) विभिन्न राज्यों में अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत की कमी के मुख्य कारण हैं-

- i) उत्पादन और क्षमता अभिवृद्धि की तुलना में मांग में ज्यादा वृद्धि होना ।
- ii) कुछ ताप विद्युत उत्पादक इकाईयों में जो अधिकतर राज्य क्षेत्र में है, निम्न संयंत्र भार कारक ।
- iii) ईंधन की कमी के कारण कम उत्पादन ।
- iv) उच्च सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियाँ ।
- v) राज्य यूटिलिटीयों की खराब वित्तीय स्थिति से पर्याप्त उत्पादन, पारेषण और वितरण प्रणाली के सृजन हेतु अपेक्षित निवेश करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाना उनके लिए कठिन बन जाता है और यहां तक कि वे कई बार वित्तीय बाधाओं के कारण विद्युत क्रय करने में भी असमर्थ होती हैं।

देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं-

- i) बारहवीं योजनावधि (2012-17) के दौरान 88,537 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि का प्रस्ताव।
 - ii) निर्माणाधीन उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि का गहन प्रबोधन ।
- (क) बाधा क्षेत्रों को चिन्हित करने और उनके तीव्र समाधान को सुगम बनाने के लिए माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री, सचिव, विद्युत मंत्रालय तथा अध्यक्ष, सीईए द्वारा उच्चतम स्तर पर विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा रही है ताकि परियोजनाएं समय पर चालू हो सकें।
- (ख) बाधा क्षेत्रों की पहचान करने एवं अंतर मंत्रालयी तथा अन्य बकाया मामलों के तीव्र समाधान को सुगम बनाने हेतु विद्युत मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, योजना आयोग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय सहित विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षाएं की जाती हैं ।
- iii) प्रत्येक 4,000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट का विकास ।
 - iv) संयुक्त उद्यम के माध्यम से विद्युत उपकरणों की घरेलू विनिर्माण क्षमता का संवर्द्धन ।
 - v) विद्यमान उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग के लिए हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर एवं गैस आधारित विद्युत स्टेशनों का समन्वित प्रचालन और अनुरक्षण ।
 - vi) स्वदेशी स्रोतों से थर्मल पावर स्टेशनों को कोयले की आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए विद्युत यूटिलिटीयों द्वारा कोयले के आयात पर बल ।
 - vii) पुरानी एवं अकुशल उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं जीवन विस्तार ।
 - viii) उपलब्ध विद्युत के इष्टतम उपयोग के लिए अंतर राज्यीय एवं अंतर क्षेत्रीय पारेषण क्षमता का सुदृढीकरण ।

अनुबंध-I

लोकसभा में दिनांक 07.03.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1713 के भाग (क) के उत्तर
में निर्दिष्ट अनुबंध

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में राज्य-वार, क्षेत्र-वार और स्रोत-वार वास्तविक
उत्पादन

राज्य	श्रेणी	क्षेत्र	वास्तविक उत्पादन 2012-13 (जनवरी, 13 तक)	वास्तविक उत्पादन 2011-12	वास्तविक उत्पादन 2010-11	वास्तविक उत्पादन 2009-10
उ.क्षे.						
बीबीएमबी						
	जलविद्युत					
		केंद्रीय	9549.64	12459.46	11273.43	9371.32
दिल्ली						
	तापीय					
		केंद्रीय	3827.57	4775.23	4549.54	5107.97
		राज्य	5139.01	4953.63	4491.66	5044.86
		निजी	137.46	241.83	88.8	0
हरियाणा						
	जलविद्युत					
		राज्य	0	0	0	235.44
	तापीय					
		केंद्रीय	6556.53	5489.33	3286.95	3211.95
		राज्य	13046.36	18391.45	15567.88	14942.98
		निजी	2376.32	165.7	0	0
हिमाचल प्रदेश						
	जलविद्युत					
		केंद्रीय	11224.67	12521.92	11698.27	11075.21
		राज्य	1285.93	1657.3	1738.59	1771.89
		निजी	6332.64	4981.39	1951.74	1605.22
		निजी यूटिलिटी	157.69	0	0	0
जम्मू और कश्मीर						
	जलविद्युत					
		केंद्रीय	7668.02	8684	8865.85	7990.92
		राज्य	3286.88	3595.07	3552.2	3431.44
	तापीय					
		राज्य	0	5.41	14.13	12.54
पंजाब						
	जल विद्युत					
		राज्य	3383.58	4626.85	4190.82	3499.29
	तापीय					
		राज्य	15938.8	19068.43	18324.82	20295.69
राजस्थान						
	जलविद्युत					
		राज्य	628.52	821.57	390.14	352.1
	तापीय					
		केंद्रीय	2873.19	3311.68	2753.13	3003.52
		राज्य	21205.08	26535.36	23441.92	22326.69
		निजी	2942.12	1684.41	961.15	223.44
	नाभिकीय					
		केंद्रीय	7218.58	8974.12	7704.54	3488.25

		केंद्रीय	0	0	0	0
		राज्य	1042.15	1077.89	1129.99	1110.82
	तापीय					
		केंद्रीय	9539.95	10416.29	11089.09	10239.32
		राज्य	21061.34	25625.22	24009.12	23969.5
		निजी	1.68	50.94	100.98	195.37
		निजी यूटिलिटी	7464.05	8938.2	8756.39	7834.72
पूर्वोत्तर राज्य						
	अरुणाचल प्रदेश					
	जल विद्युत					
		केंद्रीय	1171.97	978.4	1399.56	1033.08
		राज्य	0	0	0	19.88
असम						
	जल विद्युत					
		केंद्रीय	696.92	992.06	792.02	784.43
		राज्य	322.21	460.94	406.78	400.37
	तापीय					
		केंद्रीय	1381.41	1765.17	1833.87	1744.14
		राज्य	1172.88	1337.72	1296.06	1308.74
		निजी				80.27
मणिपुर						
	जल विद्युत					
		केंद्रीय	541.79	523.5	603.89	381.39
	तापीय					
		राज्य	0	0	0	0.27
मेघालय						
	जल विद्युत					
		केंद्रीय	159.7	178.79	155.57	149.43
		राज्य	552.68	415.71	283.23	525.6
मिजोरम						
	तापीय					
		राज्य	0	0	0	0
नागालैंड						
	जल विद्युत					
		केंद्रीय	206.23	228.84	256.04	183.55
		राज्य	0	0	0	74.09
	तापीय					
		राज्य	0	0	0	0
त्रिपुरा						
	जलविद्युत					
		राज्य	0	0	0	49.77
	तापीय					
		केंद्रीय	526.67	666.12	644.1	662.71
		राज्य	637.47	776.72	669.32	619.79
आयात						
	भूटान (आयात)					

लोकसभा में दिनांक 7.3.2013 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1713 के भाग(ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

|||||

2009-10 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	उर्जा				उच्चतम			
	अप्रैल, 2009 - मार्च, 2010				अप्रैल, 2009 - मार्च, 2010			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अतिरिक्त(अ)/कमी (-)		उच्चतम मांग	उच्चतम उपलब्धता	अतिरिक्त(अ)/ कमी (-)	
ह	(मियू)	(मियू)	(मियू)	(ऽ)	मेगावाट	मेगावाट	मेगावाट	(ऽ)
चंडीगढ़	1,576	1,528	-48	-3	308	308	0	0
दिल्ली	24,277	24,094	-183	-0.8	4,502	4,408	-94	-2.1
हरियाणा	33,441	32,023	-1,418	-4.2	6,133	5,678	-455	-7.4
हिमाचल प्रदेश	7,047	6,769	-278	-3.9	1,118	1,158	40	3.6
जम्मू कश्मीर	13,200	9,933	-3,267	-24.8	2,247	1,487	-760	-33.8
पंजाब	45,731	39,408	-6,323	-13.8	9,786	7,407	-2,379	-24.3
राजस्थान	44,109	43,062	-1,047	-2.4	6,859	6,859	0	0.0
उत्तर प्रदेश	75,930	59,508	-16,422	-21.6	10,856	8,563	-2,293	-21.1
उत्तराखंड	8,921	8,338	-583	-6.5	1,397	1,313	-84	-6.0
उत्तरी क्षेत्र	254,231	224,661	-29,570	-11.6	37,159	31,439	-5,720	-15.4
छत्तीसगढ़	11,009	10,739	-270	-2.5	2,819	2,703	-116	-4.1
गुजरात	70,369	67,220	-3,149	-4.5	10,406	9,515	-891	-8.6
मध्य प्रदेश	43,179	34,973	-8,206	-19.0	7,490	6,415	-1,075	-14.4
महाराष्ट्र	124,936	101,512	-23,424	-18.7	19,388	14,664	-4,724	-24.4
दमन एवं दीव	1,934	1,802	-132	-6.8	280	255	-25	-8.9
दादर नागर हवेली	4,007	3,853	-154	-3.8	529	494	-35	-6.6
गोवा	3,092	3,026	-66	-2.1	485	453	-32	-6.6
पश्चिमी क्षेत्र	258,528	223,127	-35,401	-13.7	39,609	32,586	-7,023	-17.7
आंध्र प्रदेश	78,996	73,765	-5,231	-6.6	12,168	10,880	-1,288	-10.6
कर्नाटक	45,550	42,041	-3,509	-7.7	7,942	6,897	-1,045	-13.2
केरल	17,619	17,196	-423	-2.4	3,109	2,982	-127	-4.1
तमिलनाडु	76,293	71,568	-4,725	-6.2	11,125	9,813	-1,312	-11.8
पुडुचेरी	2,119	1,975	-144	-6.8	327	294	-33	-10.1
लक्षद्वीप	24	24	0	0	6	6	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	220,576	206,544	-14,032	-6.4	32,178	29,049	-3,129	-9.7
बिहार	11,587	9,914	-1,673	-14.4	2,249	1,509	-740	-32.9
झीवीसी	15,199	14,577	-622	-4.1	1,938	1,910	-28	-1.4
झारखंड	5,867	5,407	-460	-7.8	1,088	947	-141	-13.0
ओडिशा	21,136	20,955	-181	-0.9	3,188	3,120	-68	-2.1
प. बंगाल	33,750	32,819	-931	-2.8	6,094	5,963	-131	-2.1
सिक्किम	388	345	-43	-11.1	96	94	-2	-2.1
अंडमान निकोबार	240	180	-60	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	87,927	84,017	-3,910	-4.4	13,220	12,384	-836	-6.3
अरुणाचल प्रदेश	399	325	-74	-18.5	95	78	-17	-17.9
असम	5,122	4,688	-434	-8.5	920	874	-46	-5.0
मणिपुर	524	430	-94	-17.9	111	99	-12	-10.8
मेघालय	1,550	1,327	-223	-14.4	280	250	-30	-10.7
मिजोरम	352	288	-64	-18.2	70	64	-6	-8.6
नागालैंड	530	466	-64	-12.1	100	96	-4	-4.0
त्रिपुरा	855	771	-84	-9.8	176	173	-3	-1.7
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	9,332	8,296	-1,036	-11.1	1,760	1,445	-315	-17.9
अखिल भारतीय	830,594	746,644	-83,950	-10.1	119,166	104,009	-15,157	-12.7

दक्षिणी क्षेत्र और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पास स्वयं की प्रणाली है, इनके यहाँ विद्युत की आपूर्ति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का अंग नहीं है

2010-11 के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा				उच्चतम			
	अप्रैल, 2010 - मार्च, 2011				अप्रैल, 2010 - मार्च, 2011			
	आवश्यकता	उपलब्धता	अतिरिक्त(अ)/कमी (-)		उच्चतम मांग	उच्चतम उपलब्धता	अतिरिक्त(अ)/ कमी (-)	
(मियू)	(मियू)	(मियू)	(S)	मेगावाट	मेगावाट	मेगावाट	(S)	
चंडीगढ़	1,519	1,519	0	0	301	301	0	0
दिल्ली	25,625	25,559	-66	-0.3	4,810	4,739	-71	-1.5
हरियाणा	34,552	32,626	-1,926	-5.6	6,142	5,574	-568	-9.2
हिमाचल प्रदेश	7,626	7,364	-262	-3.4	1,278	1,187	-91	-7.1
जम्मू कश्मीर	13,571	10,181	-3,390	-25.0	2,369	1,571	-798	-33.7
पंजाब	44,484	41,799	-2,685	-6.0	9,399	7,938	-1,461	-15.5
राजस्थान	45,261	44,836	-425	-0.9	7,729	7,442	-287	-3.7
उत्तर प्रदेश	76,292	64,846	-11,446	-15.0	11,082	10,672	-410	-3.7
उत्तराखंड	9,850	9,255	-595	-6.0	1,520	1,520	0	0.0
उत्तरी क्षेत्र	258,780	237,985	-20,795	-8.0	37,431	34,101	-3,330	-8.9
छत्तीसगढ़	10,340	10,165	-175	-1.7	3,148	2,838	-310	-9.8
गुजरात	71,651	67,534	-4,117	-5.7	10,786	9,947	-839	-7.8
मध्य प्रदेश	48,437	38,644	-9,793	-20.2	8,864	8,093	-771	-8.7
महाराष्ट्र	128,296	107,018	-21,278	-16.6	19,766	16,192	-3,574	-18.1
दमन एवं दीव	2,181	1,997	-184	-8.4	353	328	-25	-7.1
दादर नागर हवेली	4,429	4,424	-5	-0.1	594	594	0	0.0
गोवा	3,154	3,089	-65	-2.1	544	467	-77	-14.2
पश्चिमी क्षेत्र	268,488	232,871	-35,617	-13.3	40,798	34,819	-5,979	-14.7
आंध्र प्रदेश	78,970	76,450	-2,520	-3.2	12,630	11,829	-801	-6.3
कर्नाटक	50,474	46,624	-3,850	-7.6	8,430	7,815	-615	-7.3
केरल	18,023	17,767	-256	-1.4	3,295	3,103	-192	-5.8
तमिलनाडु	80,314	75,101	-5,213	-6.5	11,728	10,436	-1,292	-11.0
पुडुचेरी	2,123	2,039	-84	-4.0	319	302	-17	-5.3
लक्षद्वीप	25	25	0	0	7	7	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	229,904	217,981	-11,923	-5.2	33,256	31,121	-2,135	-6.4
बिहार	12,384	10,772	-1,612	-13.0	2,140	1,659	-481	-22.5
झीवीसी	16,590	15,071	-1,519	-9.2	2,059	2,046	-13	-0.6
झारखंड	6,195	5,985	-210	-3.4	1,108	1,052	-56	-5.1
ओडिशा	22,506	22,449	-57	-0.3	3,872	3,792	-80	-2.1
प. बंगाल	36,481	35,847	-634	-1.7	6,162	6,112	-50	-0.8
सिक्किम	402	402	0	0.0	106	104	-2	-1.9
अंडमान निकोबार	240	180	-60	-25	40	32	-8	-20
पूर्वी क्षेत्र	94,558	90,526	-4,032	-4.3	13,767	13,085	-682	-5.0
अरुणाचल प्रदेश	511	436	-75	-14.7	101	85	-16	-15.8
असम	5,403	5,063	-340	-6.3	971	937	-34	-3.5
मणिपुर	568	505	-63	-11.1	118	115	-3	-2.5
मेघालय	1,545	1,352	-193	-12.5	294	284	-10	-3.4
मिजोरम	369	315	-54	-14.6	76	70	-6	-7.9
नागालैंड	583	520	-63	-10.8	118	110	-8	-6.8
त्रिपुरा	882	801	-81	-9.2	220	197	-23	-10.5
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	9,861	8,992	-869	-8.8	1,913	1,560	-353	-18.5
अखिल भारतीय	861,591	788,355	-73,236	-8.5	122,287	110,256	-12,031	-9.8

‡ लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पास स्वयं की प्रणाली है, इनके यहाँ विद्युत की आपूर्ति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का अंग नहीं है

टिप्पणी- विभिन्न राज्यों में व्यस्ततम एवं ऊर्जा उपलब्धता दोनों सकल खपत को दर्शाते हैं(पारेषण हानियों सहित)। सकल निर्यात को आयात करने वाले राज्यों के खाते में दर्शाया जाता है।

2011-12के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति

क्षेत्र	अप्रैल, 2011 - मार्च, 2012				अप्रैल, 2011 - मार्च, 2012			
	आवश्यकता (मियु)	उपलब्धता (मियु)	अतिरिक्त(अ)/कमी (-)		उच्चतम मांग मेगावाट	उच्चतम उपलब्धता मेगावाट	अतिरिक्त(अ)/ कमी (-)	
			(मियु)	(S)			मेगावाट	(S)
चंडीगढ़	1,568	1,564	-4	0	263	263	0	0
दिल्ली	26,751	26,674	-77	-0.3	5,031	5,028	-3	-0.1
हरियाणा	36,874	35,541	-1,333	-3.6	6,533	6,259	-274	-4.2
हिमाचल प्रदेश	8,161	8,107	-54	-0.7	1,397	1,298	-99	-7.1
जम्मू कश्मीर	14,250	10,889	-3,361	-23.6	2,385	1,789	-596	-25.0
पंजाब	45,191	43,792	-1,399	-3.1	10,471	8,701	-1,770	-16.9
राजस्थान	51,474	49,491	-1,983	-3.9	8,188	7,605	-583	-7.1
उत्तर प्रदेश	81,339	72,116	-9,223	-11.3	12,038	11,767	-271	-2.3
उत्तराखंड	10,513	10,208	-305	-2.9	1,612	1,600	-12	-0.7
उत्तरी क्षेत्र	276,121	258,382	-17,739	-6.4	40,248	37,117	-3,131	-7.8
छत्तीसगढ़	15,013	14,615	-398	-2.7	3,239	3,093	-146	-4.5
गुजरात	74,696	74,429	-267	-0.4	10,951	10,759	-192	-1.8
मध्य प्रदेश	49,785	41,392	-8,393	-16.9	9,151	8,505	-646	-7.1
महाराष्ट्र	141,382	117,722	-23,660	-16.7	21,069	16,417	-4,652	-22.1
दमन एवं दीव	2,141	1,915	-226	-10.6	301	276	-25	-8.3
दादर नागर हवेली	4,380	4,349	-31	-0.7	615	605	-10	-1.6
गोवा	3,024	2,981	-43	-1.4	527	471	-56	-10.6
पश्चिमी क्षेत्र	290,421	257,403	-33,018	-11.4	42,352	36,509	-5,843	-13.8
आंध्र प्रदेश	91,730	85,149	-6,581	-7.2	14,054	11,972	-2,082	-14.8
कर्नाटक	60,830	54,023	-6,807	-11.2	10,545	8,549	-1,996	-18.9
केरल	19,890	19,467	-423	-2.1	3,516	3,337	-179	-5.1
तमिलनाडु	85,685	76,705	-8,980	-10.5	12,813	10,566	-2,247	-17.5
पुडुचेरी	2,167	2,136	-31	-1.4	335	320	-15	-4.5
लक्षद्वीप	37	37	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	260,302	237,480	-22,822	-8.8	37,599	32,188	-5,411	-14.4
बिहार	14,311	11,260	-3,051	-21.3	2,031	1,738	-293	-14.4
डीवीसी	16,648	16,009	-639	-3.8	2,318	2,074	-244	-10.5
झारखंड	6,280	6,030	-250	-4.0	1,030	868	-162	-15.7
ओडिशा	23,036	22,693	-343	-1.5	3,589	3,526	-63	-1.8
प. बंगाल	38,679	38,281	-398	-1.0	6,592	6,532	-60	-0.9
सिक्किम	390	384	-6	-1.5	100	95	-5	-5.0
अंडमान निकोबार	244	204	-40	-16	48	48	0	0
पूर्वी क्षेत्र	99,344	94,657	-4,687	-4.7	14,707	13,999	-708	-4.8
अरुणाचल प्रदेश	600	553	-47	-7.8	121	118	-3	-2.5
असम	6,034	5,696	-338	-5.6	1,112	1,053	-59	-5.3
मणिपुर	544	499	-45	-8.3	116	115	-1	-0.9
मेघालय	1,927	1,450	-477	-24.8	319	267	-52	-16.3
मिजोरम	397	355	-42	-10.6	82	78	-4	-4.9
नागालैंड	560	511	-49	-8.8	111	105	-6	-5.4
त्रिपुरा	949	900	-49	-5.2	215	214	-1	-0.5
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	11,011	9,964	-1,047	-9.5	1,920	1,782	-138	-7.2
अखिल भारतीय	937,199	857,886	-79,313	-8.5	130,006	116,191	-13,815	-10.6

‡ लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पास स्वयं की प्रणाली है, इनके यहाँ विद्युत की आपूर्ति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का अंग नहीं है

2012-13 (अनंतिम) के लिए विद्युत आपूर्ति की स्थिति

राज्य/प्रणाली/क्षेत्र	ऊर्जा	उच्चतम
	अप्रैल, 2012 - जनवरी, 2013	अप्रैल, 2012 - जनवरी, 2013

	आवश्यकता	उपलब्धता	अतिरिक्त(अ)/कमी (-)		उच्चतम मांग	उच्चतम उपलब्धता	अतिरिक्त(अ)/ कमी (-)	
	(मियु)	(मियु)	(मियु)	(S)	मेगावाट	मेगावाट	मेगावाट	(S)
चंडीगढ़	1,434	1,434	0	0	340	340	0	0
दिल्ली	22,827	22,694	-133	-0.6	5,942	5,642	-300	-5.0
हरियाणा	35,828	32,783	-3,045	-8.5	7,432	6,725	-707	-9.5
हिमाचल प्रदेश	7,576	7,342	-234	-3.1	2,116	1,672	-444	-21.0
जम्मू कश्मीर	12,792	9,594	-3,198	-25.0	2,422	1,817	-605	-25.0
पंजाब	41,747	39,239	-2,508	-6.0	11,520	8,751	-2,769	-24.0
राजस्थान	45,953	44,299	-1,654	-3.6	8,940	8,515	-425	-4.8
उत्तर प्रदेश	77,497	64,692	-12,805	-16.5	13,940	12,048	-1,892	-13.6
उत्तराखंड	9,660	9,064	-596	-6.2	1,757	1,674	-83	-4.7
उत्तरी क्षेत्र	255,314	231,141	-24,173	-9.5	45,860	41,790	-4,070	-8.9
छत्तीसगढ़	14,210	13,968	-242	-1.7	3,271	3,134	-137	-4.2
गुजरात	75,423	75,275	-148	-0.2	11,999	11,960	-39	-0.3
मध्य प्रदेश	43,770	39,017	-4,753	-10.9	10,077	9,462	-615	-6.1
महाराष्ट्र	104,016	100,539	-3,477	-3.3	17,934	16,765	-1,169	-6.5
दमन एवं दीव	1,567	1,436	-131	-8.4	311	286	-25	-8.0
दादर नागर हवेली	3,643	3,474	-169	-4.6	629	629	0	0.0
गोवा	2,509	2,439	-70	-2.8	491	452	-39	-7.9
पश्चिमी क्षेत्र	245,138	236,148	-8,990	-3.7	40,075	39,486	-589	-1.5
आंध्र प्रदेश	82,067	68,006	-14,061	-17.1	13,974	11,335	-2,639	-18.9
कर्नाटक	54,365	47,104	-7,261	-13.4	10,124	8,458	-1,666	-16.5
केरल	17,649	16,967	-682	-3.9	3,578	3,262	-316	-8.8
तमिलनाडु	76,560	63,308	-13,252	-17.3	12,606	11,053	-1,553	-12.3
पुडुचेरी	1,938	1,900	-38	-2.0	348	320	-28	-8.0
लक्षद्वीप	30	30	0	0	8	8	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	232,579	197,285	-35,294	-15.2	36,934	31,287	-5,647	-15.3
बिहार	12,630	10,800	-1,830	-14.5	2,295	1,784	-511	-22.3
झारखंड	14,464	13,715	-749	-5.2	2,573	2,469	-104	-4.0
झारखंड	5,801	5,575	-226	-3.9	1,106	1,033	-73	-6.6
ओडिशा	21,234	20,443	-791	-3.7	3,968	3,694	-274	-6.9
प. बंगाल	35,483	35,230	-253	-0.7	7,322	7,249	-73	-1.0
सिक्किम	341	341	0	0.0	95	95	0	0.0
अंडमान निकोबार	201	156	-45	-22	48	48	0	0
पूर्वी क्षेत्र	90,306	86,104	-4,202	-4.7	16,655	15,415	-1,240	-7.4
अरुणाचल प्रदेश	503	472	-31	-6.2	116	114	-2	-1.7
असम	5,544	5,186	-358	-6.5	1,197	1,148	-49	-4.1
मणिपुर	488	462	-26	-5.3	122	120	-2	-1.6
मेघालय	1,510	1,314	-196	-13.0	312	310	-2	-0.6
मिजोरम	339	315	-24	-7.1	75	73	-2	-2.7
नागालैंड	480	453	-27	-5.6	110	109	-1	-0.9
त्रिपुरा	936	890	-46	-4.9	229	228	-1	-0.4
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	9,800	9,092	-708	-7.2	1,998	1,864	-134	-6.7
अखिल भारतीय	833,230	759,849	-73,381	-8.8	135,453	123,294	-12,159	-9.0

द लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पास स्वयं की प्रणाली है, इनके यहाँ विद्युत की आपूर्ति क्षेत्रीय आवश्यकता एवं उपलब्धता का अंग नहीं है

टिप्पणी- विभिन्न राज्यों में व्यस्ततम एवं ऊर्जा उपलब्धता दोनों सकल खपत को दर्शाते हैं(पारेषण हानियों सहित)। सकल निर्यात को आयात करने वाले राज्यों के खाते में दर्शाया जाता है।

|||||||

लोकसभा में दिनांक 7.3.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1713 के भाग(ग)और(घ) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

|||||||

31.01.2013 को राज्यों के अनाबंटित विद्युत का आबंटन	
	(मेगावाट)
चंडीगढ़	111
दिल्ली	30
हरियाणा	140
हिमाचल प्रदेश	194
जम्मू कश्मीर	364
पंजाब	87
राजस्थान	395
उत्तर प्रदेश	642
उत्तराखंड	125
छत्तीसगढ़	0
गुजरात	0
मध्य प्रदेश	425
महाराष्ट्र	567
दमन एवं दीव	134
दादर नागर हवेली	573
गोवा	30
आंध्र प्रदेश	395
कर्नाटक	269
केरल	265
तमिलनाडु	362
पुदुचेरी	158
लक्षद्वीप	0
बिहार	296
डीवीसी	160
झारखंड	45
ओडिशा	70
प. बंगाल	13
सिक्किम	0
अंदमान निकोबार	15
असम	193
मणिपुर	16
मेघालय	111
मिजोरम	24
नागालैंड	8
त्रिपुरा	10

|||||||

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1716.

जिसका उत्तर 07 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

ईंधन आपूर्ति समझौता

1716. डॉ. अनूप कुमार साहा :

श्री आधि शंकर :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) ने प्रारूप एफएसए में बिना किसी प्रमुख परिवर्तनों के कोल इण्डिया लिमिटेड (सीआईएल) के साथ ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए) हस्ताक्षरित करने का निर्णय लिया है और क्या इन दोनों के बीच मतभेद सुलझा दिए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनटीपीसी द्वारा नए एफएसए के अंतर्गत सीआईएल आपूर्ति के 35 प्रतिशत से अधिक कोयले को उठाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एफएसए के हस्ताक्षर में विलंब के कारण एनटीपीसी की इकाइयों और दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) में विद्युत उत्पादन प्रभावित हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो एफएसए के हस्ताक्षर में विलंब के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस मुद्दे के यथाशीघ्र समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : जी नहीं।

(ख) : उपर्युक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एनटीपीसी और इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों से नए एफएसए के अंतर्गत सीआईएल कोयले के लगभग 25s के लिए ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) पर हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है।

(घ) और (ङ) : जहां तक एनटीपीसी का संबंध है, एफएसए पर हस्ताक्षर किए जाने में विलंब के कारण इसकी यूनिटों में अब तक विद्युत उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है। एनटीपीसी को कुछ खंड स्वीकार्य नहीं होने के कारण हस्ताक्षर करने में विलंब हुआ है जोकि सीआईएल के साथ एफएसए पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमति होने की प्रक्रिया में है।

डीवीसी को दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट यूनिट- 1 व 2 (1000 मेगावाट) जिसके लिए अभी एफएसए पर हस्ताक्षर किए जाने हैं, ने जनवरी, 2013 में 78s पीएलएफ पर विद्युत उत्पादन किया

है। दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट के लिए एफएसए में विलंब हुआ है क्योंकि मैसर्स ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (ईसीएल) संबद्ध सी-ई ग्रेड कोयले के स्थान पर ए-ई ग्रेड कोयले के लिए एफएसए पर हस्ताक्षर करने के लिए जोर दे रहा है। विद्युत मंत्रालय ने सी से ई ग्रेड में पूर्ण संबद्ध मात्रा के लिए एफएसए पर हस्ताक्षर करने के लिए सभी संबंधित प्राधिकारियों को उचित निर्देश देने और यह कहने कि ईसीएल के पास सम्बद्ध ग्रेड का पर्याप्त स्टॉक नहीं है, तो इसे ईसीएल से अन्य कंपनियों अर्थात् बीसीसीएल और सीसीएल को पुनः आवंटित किए जाने के लिए कोयला मंत्रालय को लिखा है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-1723

जिसका उत्तर 07 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

एनटीपीसी की विकास योजनाएं

*1723. श्री जे.एम. आरून रशीद :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) व्यापक विकास योजनाएं लक्षित कर रहा है और 2017 और 2022 तक क्रमशः 70,000 मेगावाट और 1,00,000 मेगावाट की नई परियोजनाओं को प्रारंभ करने का इरादा रखता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनटीपीसी का इरादा पन, सौर, पवन और कोयला खनन क्षेत्रों में भी प्रवेश करने का है और सुपर-क्रिटिकल, अल्ट्रा-क्रिटिकल विद्युत परियोजनाओं इत्यादि की अग्रणीय प्रौद्योगिकी को सम्मिलित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो जून 2010 से नए उद्यमों में ऐसे विविधीकरण के लिए की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : वर्तमान में, एनटीपीसी (संयुक्त उद्यम (जेवी) और सहायक कंपनियों सहित) ने 40,174 मेगावाट की क्षमता शुरू की है। 12वीं योजना की शेष अवधि के दौरान 10,800 मेगावाट क्षमता शामिल किए जाने की आयोजना की गई है, अतः वर्ष 2017 तक लगभग 51,000 मेगावाट की कुल क्षमता प्राप्त होगी।

इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी ने (जेवी और सहायक कंपनियों सहित) वर्ष 2032 तक 1,28,000 मेगावाट क्षमता की दीर्घकालिक कारपोरेट योजना बनाई है जिसमें मुख्य रूप से थर्मल पावर शामिल होगी।

(ग) और (घ) : जल, परमाणु, सौर इत्यादि को शामिल करने के लिए ईंधन मिश्रण का विविधीकरण करना एनटीपीसी की दीर्घकालिक बढोत्तरी रणनीति का एक हिस्सा है। वर्तमान में, 1,499 मेगावाट की चार जल विद्युत परियोजनाएं (कोलडैम: 800 मेगावाट, तपोवन-विष्णुगाड: 520 मेगावाट, लता तपोवन: 171 मेगावाट और सिंगरौली शीतल जल निकास: 8

मेगावाट) कार्यान्वयनाधीन है। 20 मेगावाट की क्षमता वाली सौर परियोजनाएं (दादरी में 5 मेगावाट, अंडमान एवं निकोबार में 5 मेगावाट और रामगुंडम में 10 मेगावाट) निर्माणाधीन है।

एनटीपीसी उच्च कुशलता और निम्न द्रष्टृ एमिशन वाली सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी अपना रहा है और सिलत में 660 मेगावाट की 3 यूनिटें शुरू की हैं। 660 मेगावाट की अन्य 14 यूनिटें और 800 मेगावाट क्षमता की 5 यूनिटें निर्माणाधीन हैं।

एनटीपीसी भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड (भेल) और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर) के साथ 800 मेगावाट के लिए एड्वांस्ड अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी के विकास कार्य में लगा हुआ है।

एनटीपीसी द्वारा जून, 2010 से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और न्यूक्लियर विद्युत में इसके विविधीकरण के रूप में की गई पहलों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

- न्यूक्लीयर विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए दिनांक 27.11.2010 को न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) और एनटीपीसी के बीच (एनपीसीआईएल के 51s हिस्से और एनटीपीसी के 49s हिस्से सहित) जेवी कंपनी अणुशक्ति विद्युत निगम लि. की स्थापना की गई है।
- लगभग 200 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए दिनांक 18.07.11 को केरल सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।
- भारत में नवीकरणीय विद्युत उत्पादन संसाधनों की 500 मेगावाट क्षमता के विकास के लिए दिनांक 14.10.2011 को पैन एशियन रिनुएबल्स के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी (एनटीपीसी के 50s हिस्से और प्रत्येक एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और कुदेन के 25s हिस्से सहित) की स्थापना की गई है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1742

जिसका उत्तर 07 मार्च, 2013 को दिया जाना है ।

विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति

1742. श्री अशोक कुमार रावत :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की 2*660 मेगावाट की बिल्हौर परियोजना के लिए कोयला आवंटन और पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)- जी, नहीं ।

(ख)- उपर्युक्त(क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

(ग)- एनटीपीसी ने उत्तर प्रदेश में 2 * 660 मेगावाट की बिल्हौर परियोजना के लिए कोयला मंत्रालय को दिनांक 17.02.2011 को कोयला लिकेज के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था । तथापि, कोयला मंत्रालय द्वारा इस परियोजना के लिए कोयला लिकेज अभी प्रदान किया जाना है । निश्चित कोयला लिकेज की उपलब्धता होने के पश्चात ही पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1774.

जिसका उत्तर 07 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत वितरण कंपनियों से बकाया

1774. श्री सुदर्शन भगत :

श्री पी.आर. नटराजन :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार की राज्य विद्युत वितरण कंपनियों पर राज्य-वार ऋण की कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) राज्यों पर इस भारी ऋणभार के परिणामस्वरूप देश में विद्युत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या विद्युत वितरण कंपनियां अपने विकास संबंधी क्रियाकलाप के लिए धन की कमी का सामना कर रही हैं और केन्द्र सरकार बिजली के मूल्य की समीक्षा करने की योजना बना रही है ताकि बिजली को उत्पादन लागत पर बेचा जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : संघ सरकार राज्य विद्युत वितरण कंपनियों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण मुहैया नहीं करा रही है। तथापि, पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) के तहत मंजूर परियोजनाओं के लिए वितरण कंपनियों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के सफल कार्यान्वयन पर आर-एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया ऋण अनुदान परिवर्तनीय है। आर-एपीडीआरपी के भाग 'क' के अंतर्गत 100s ऋण अनुदान में परिवर्तनीय है जबकि भाग 'ख' के अंतर्गत कुछ शर्तों के अधीन 50s तक ऋण अनुदान में परिवर्तनीय है।

आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत दिनांक 05.03.13 की स्थिति के अनुसार संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए ऋण के रूप में संचयी रूप से 6456.01 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। आर-एपीडीआरपी के अंतर्गत मंजूर व वितरित ऋण का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-४ पर संलग्न है।

राज्य विद्युत वितरण कंपनियों का टर्नअराउंड कर सकने तथा उनकी दीर्घकालीन व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्वामित्व वाली विद्युत कंपनियों के वित्तीय पुनर्गठन के लिए भारत सरकार द्वारा एक योजना अधिसूचित की गई है। योजना में केंद्र सरकार द्वारा परिवर्ती वित्त प्रक्रिया के सहयोग से अपने कार्य के पुनर्गठन द्वारा वित्तीय टर्नअराउंड प्राप्त करने के लिए राज्य विद्युत वितरण कंपनियों, ऋणदाता बैंकों तथा राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय दिए गए हैं।

(ग) और (घ) : यूटिलिटियों द्वारा उपलब्ध कराए गए लेखा ब्यौरे पर आधारित 'राज्य विद्युत यूटिलिटियों के वर्ष 2008-09 से 2010-11 के निष्पादन' पर पीएफसी की रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ताओं को सीधे विक्रय करने वाली यूटिलिटियों ने वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान हानि उठाई है। ब्यौरा अनुबंध- ~~२२~~ में दिया गया है।

विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत, राज्य/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी/जेईआरसी) उपभोक्ताओं के लिए खुदरा प्रशुल्क निर्धारित करते हैं। अधिनियम की धारा 61 में यह अपेक्षा की गई है कि एसईआरसी प्रशुल्क निर्धारण करते समय अन्य बातों के साथ-साथ इन कारकों से निदेशित हों ' कि प्रशुल्क प्रगामी रूप से विद्युत की आपूर्ति की लागत को दर्शाएं और उपयुक्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट ढंग से क्रॉस सब्सिडी भी कम करें।'

राज्य विनियामक मंच तथा सीईआरसी ने मॉडल प्रशुल्क दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित करने का संकल्प किया है, जो प्रशुल्क का युक्तीकरण करने के संबंध में है। विनियामक मंच ने मॉडल प्रशुल्क दिशा-निर्देशों को अपनाने के लिए इसे एसईआरसी को परिचालित कर दिया है।

विद्युत मंत्रालय ने 'विद्युत संबंधी अपीलीय अधिकरण' से सामान्यतः विद्युत क्षेत्र और विशेषकर यूटिलिटियों की वित्तीय स्थिति और दीर्घावधि व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए प्रशुल्क को उपयुक्ततः संशोधित करने (स्वयंमेव, यदि अपेक्षित हो) के लिए राज्य विनियामक प्राधिकारियों को विद्युत अधिनियम की धारा 121 के तहत निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।

'विद्युत संबंधी अपीलीय अधिकरण' (एपटेल) ने अपने दिनांक 11 नवंबर, 2011 के आदेश में राज्य बिजली बोर्डों/वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने और अन्ततः वितरण कंपनियों के बढ़ते लंबित बकायों से निपटने के मद्देनजर राज्य आयोगों को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वचालित ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन लागत, यदि यूटिलिटी द्वारा याचिका दायर नहीं की गई है तो प्रशुल्क का स्वयंमेव निर्धारण, लेखों का वार्षिक टुइंगअप शामिल है और एसईआरसी द्वारा कोई भी संसाधन अंतर सम्मिलित करने से छोड़ा नहीं जाना चाहिए।

लोकसभा में दिनांक 07.03.2013 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1774 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

|||||

दिनांक 05.03.2013 के अनुसार आर-एपीडीआरपी स्वीकृतियां एवं संवितरित स्थिति

राज्य	स्वीकृत राशि/कुल परियोजना लागत (रुपए करोड़ में)	संवितरित राशि (रुपए करोड़ में)
हरियाणा	839.21	49.68
हिमाचल प्रदेश	435.37	155.16
जम्मू व कश्मीर	1870.15	561.04
पंजाब	1834.94	368.07
चण्डीगढ़	33.34	0.00
राजस्थान	2007.31	371.13
उत्तर प्रदेश	4200.82	827.31
उत्तराखंड	535.00	189.13
मध्य प्रदेश	2368.26	456.93
गुजरात	1363.01	314.22
छत्तीसगढ़	873.75	155.59
महाराष्ट्र	3954.78	666.11
गोवा	110.73	31.47
आंध्र प्रदेश	1562.21	310.17
कर्नाटक	1340.14	259.68
केरल	1375.85	250.99
तमिलनाडु	3878.73	671.69
पुडुचेरी	27.53	4.50
बिहार	1371.81	140.90
झारखण्ड	160.60	48.18
पश्चिम बंगाल	872.54	231.78
असम	839.65	251.89
अरुणाचल प्रदेश	37.68	11.30
नागालैंड	34.58	10.37
मणिपुर	31.55	9.47
मेघालय	33.97	10.19
मिजोरम	35.12	10.54
सिक्किम	94.76	28.43
त्रिपुरा	200.28	60.09
कुल	32323.67	6456.01

|||||||

लोक सभा में दिनांक 07.03.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या-1774 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

IIII

वर्ष 2008-09 से 2010-11 के लिए सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री करने वाली यूटिलिटीज को हुए लाभ हानि का विवरण (रु० करोड़ में)

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2008-09		2009-10		2010-11	
			लाभ (हानि) बीमांकित आधार पर कर पश्चात	लाभ (हानि) सब्सिडी प्राप्त के आधार पर	लाभ (हानि) बीमांकित आधार पर कर पश्चात	लाभ (हानि) सब्सिडी प्राप्त के आधार पर	लाभ (हानि) बीमांकित आधार पर कर पश्चात	लाभ (हानि) सब्सिडी प्राप्त के आधार पर
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	-1,005	-1,005	-1,412	-1,412	-1,332	-1,332
	झारखंड	जेएसईबी	-1,048	-1,048	-707	-707	-723	-723
	उड़ीसा	सेसको	-125	-125	-146	-146	-150	-150
		नेसको	-0	-0	-28	-28	-72	-72
		सेसको	-36	-36	-40	-40	-19	-19
		वेसको	13	13	-27	-27	-38	-38
सिक्किम	सिक्किम पीडी	10	10	-9	-9	-38	-38	
पश्चिम बंगाल	डब्लूबीएसईडीसी एल	39	39	71	71	95	95	
	अरुणाचल प्रदेश	पीडी	-48	-48	-212	-212	-182	-182
पूर्वोत्तर	असम	सीएईडीसीएल	-13	-13				
		एलएईडीसीएल	-15	-15				
		यूएईडीसीएल	-19	-19				
		एपीडीसीएल			-319	-319	-446	-446
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	-113	-113	-87	-87	-134	-134
	मेघालय	मेघालय एसईबी	10	10	-56	-56		
		मेघालय ईसीएल					-91	-91
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	-72	-72	-139	-139	-158	-158
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	-68	-68	-108	-108	-159	-159
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	49	38	2	-11	-126	-130
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	-108	-108	187	187	388	388
		बीएसईएस यमुना	58	58	77	77	155	155
		एनडीपीएल	171	171	351	351	258	258
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	-265	-265	-633	-680	-393	-556
		यूएचबीवीएनएल	-1,218	-1,218	-912	-912	-129	-129
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी	32	32	-153	-153	-122	-122
		एचपीएसईबी लि.					-389	-389
	जम्मू और कश्मीर	जेएंडके पीडीडी	-1,316	-1,316	-2,106	-2,106	-2,167	-2,167
		पंजाब	पीएसईबी	-1,041	-1,041	-1,302	-1,302	
	राजस्थान	पीएसपीसीएल					-1,482	-1,482
एवीवीएनएल		-0	-2,403	0	-3,924	0	-3,071	
जेडीवीवीएनएल		0	-2,185	0	-3,169	0	-3,069	
जेवीवीएनएल		0	-2,227	-0	-3,913	0	-3,389	
उत्तर प्रदेश		डीवीवीएन	-974	-974	-1,707	-1,707	-1,117	-1,117
		केएससीओ	-152	-152	-181	-181	-73	-73
	एमवीवीएन	-418	-418	-1,040	-1,040	-348	-348	
	पश्चमी वीवीएन	-612	-612	-1,188	-1,188	-304	-304	
	पूर्वी वीवीएन	-1,346	-1,346	-1,170	-1,170	-969	-969	
उत्तराखंड	उत्तराखंड पीसीएल	-355	-355	-527	-527	-219	-219	
	दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	13	-2,780	36	-1,198	3
		एपीईपीडीसीएल	14	-531	18	-435	13	-572
		एपीएनपीडीसीएल	6	-1,191	7	-892	7	-409
		एपीएसपीडीसीएल	11	-1,485	4	-1,116	3	-418

	कर्नाटक	बेसकोम	-588	-588	12	112	0	0
		चेसकोम	-221	-280	-74	-318	11	11
		जेसकोम	-198	-198	-31	-31	61	61
		हेसकोम	-560	-560	-174	-174	-65	-65
		मेसकोम	-41	-41	9	-14	2	2
	केरल	केएसईबी	217	217	241	241	241	241
	पुडुचेरी	पुडुचेरी	-80	-80	-47	-47	-134	-134
	तमिलनाडु	टीएनईबी	-7,771	-8,021	-10,295	-10,295	-6,273	-6,273
		टैज्जको					-6,202	-6,202
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसईबी	764	764				
		सीएसपीडीसीएल	74	74	-314	-314	-468	-468
	गोवा	गोवा पीडी	158	158	16	16	-79	-79
	गुजरात	डीजीवीसीएल	3	3	22	22	63	63
		एमजीवीसीएल	5	5	17	17	25	25
		पीजीवीसीएल	1	1	4	4	3	3
		यूजीवीसीएल	6	6	6	6	13	13
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	-574	-574	-779	-779	-605	-605
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	-833	-833	-1,433	-1,433	-578	-578
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	-1,077	-1,077	-1,131	-1,131	-974	-974
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	-902	-902	-1,085	-1,085	-1,505	-1,505

स्रोत - 'राज्य विद्युत यूटिलिटीयों के वर्ष 2008-09 से 2010-11 के निष्पादन' पर पीएफसी की रिपोर्ट

|||||

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1777.

जिसका उत्तर 07 मार्च, 2013 को दिया जाना है ।

ओडिशा में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजना

अ1777. श्री बिभू प्रसाद तराई :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या ओडिशा में दरलीपाली में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी) की 1600 मेगावाट मेगा पावर परियोजना की स्थापना में विलंब हो रहा है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या संयंत्र के लिए निर्धारित कोयला खानों संबंधी काम भी रूक गया है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा परियोजना को शीघ्र शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

- (क) और (ख): दरलीपाली में एनटीपीसी की 1600 मेगावाट सुपर क्रिटिकल बल्क टेंडर प्रोजेक्ट के लिए दिनांक 04.02.2011 को टेंडर इनवाइटिंग नोटिस (एनआईटी) जारी किया गया था और एनटीपीसी बोर्ड द्वारा दिनांक 29.11.2011 को अवार्ड रिकमेंडेशन का अनुमोदन किया गया था । तथापि, ओडिशा राज्य सरकार से भूमि की अनुपलब्धता और वन स्वीकृति के कारण परियोजना के लिए अनुमोदित निवेश में विलंब हुआ है ।
- (ग) और (घ): ओडिशा राज्य सरकार द्वारा खनन हेतु वन स्वीकृति की प्रक्रिया और भूमि अधिग्रहण के लिए भूमिदरों को अंतिम रूप नहीं देने की वजह से डुलंगा कोयला खानों (दरलीपाली सुपर ताप विद्युत परियोजना (एसटीपीपी) पर कार्य रूका हुआ है ।
- (ङ): इस मामले पर विद्युत मंत्रालय और एनटीपीसी द्वारा राज्य सरकार के साथ नियमित बैठकों और पत्राचार के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर लगातार संपर्क किया जा रहा है ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1786.

जिसका उत्तर 07 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत संयंत्रों के लिए ईंधन की कमी

अ1786. श्री राजय्या सिरिसिल्ला :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत संयंत्रों द्वारा सामना की जाने वाली ईंधन की कमी की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समीक्षा के क्या परिणाम निकले; और

(ग) समीक्षा के आधार पर ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख): केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के तत्वावधान में एक अंतर-मंत्रालयी ग्रुप के द्वारा थर्मल पावर स्टेशनों के कोयले की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। ईंधन की कमी का आंकलन स्वदेशी कोयला एवं गैस की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। वर्ष 2012-13 के लिए, 476 मिलियन टन(एमटी) की घरेलू कोयले की आवश्यकता की तुलना में, 69 एमटी की कमी को छोड़कर के 417 एमटी घरेलू कोयले की उपलब्धता का अनुमान लगाया गया था। इस कमी को पूरा करने के उद्देश्य से विद्युत यूटिलिटियों को 46 एमटी कोयले का आयात करने की सलाह दी गई है, जो कि 69 एमटी घरेलू कोयले के समतुल्य है क्योंकि आयातित कोयले का ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू (जीसीवी) अधिक होता है।

विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति को मूर्त रूप देने के लिए 2011-12 की संगत अवधि के दौरान 915 से बढ़ाकर वर्ष 2012-13 के दौरान (जनवरी, 2013 तक) 985 तक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विद्युत संयंत्रों को 2011-12 की अवधि के दौरान कोयले की प्राप्ति में वृद्धि 0.885 से बढ़कर 2012-13(जनवरी, 2013 तक) में 12.25 हो गई है।

इस समय देश में गैस आधारित विद्युत स्टेशनों को 905 प्लांट लोड फैक्टर(पीएलएफ) पर लगभग 85 एमएमएससीएमडी गैस की आवश्यकता की तुलना में लगभग 35 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन(एमएमएससीएमडी) गैस की आपूर्ति की जा रही है।

(ग): विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

(त) कोयला मंत्रालय/ कोल इंडिया लिमिटेड(सीआईएल) से देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

(त्त) विद्यमान खानों और नए कोयला ब्लॉकों को चालू करने में तीव्रता लाने के लिए कैप्टिव कोयला ब्लॉक आबंटियों द्वारा कोयला उत्पादन को बढ़ाने पर बल दिया गया है।

(त्त) सीआईएल को डिस्कॉमों के साथ दीर्घावधिक विद्युत क्रय करार(पीपीए) करने वाले तथा 31 मार्च, 2015 को अथवा पहले चालू हो चुके/होने वाले विद्युत संयंत्रों के साथ ईंधन आपूर्ति करार(एफएसए) पर हस्ताक्षर करने का निदेश दिया गया है।

(त्त) गैर प्रोत्साहन लेवी के लिए 80S और प्रोत्साहन लेवी के लिए 90S के ट्रिगर लेवल के साथ 20 वर्षों की अवधि के लिए आश्वासन पत्र(एलओए) में वर्णित कोयले की पूर्ण मात्रा हेतु एफएसए पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(ध) अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सीआईएल 12वीं योजना के अंत तक अपने उत्पादन को उत्तरोत्तर ई-आक्शन के माध्यम से 10S से 7S कोयले में कमी ला सकती है।

(ध) अपने स्वयं के उत्पादन से एफएसए के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए किसी कमी के मामले में सीआईएल आयात या पीएसयू को वाणिज्यिक खनन हेतु आबंटित कोयला ब्लॉकों की व्यवस्था के द्वारा कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था करेगी।

(ध) उपर्युक्त के अतिरिक्त, विद्युत यूटिलिटियां बाँयलर की मिश्रण सीमाओं के अधीन कोयले की मांग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए कोयले का आयात कर रही हैं।

(ध) विद्युत यूटिलिटियों द्वारा आयात सहित विद्युत क्षेत्र के लिए गैस की उपलब्धता बढ़ाना।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारंकित प्रश्न संख्या-1806.

जिसका उत्तर 07 मार्च, 2013 को दिया जाना है ।

विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति

+1806. श्री एन. चेलवरया स्वामी :

श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी :

डॉ. संजीव गणेश नाईक :

श्रीमती सुप्रिया सुले :

श्री शिवकुमार उदासी :

श्री सी. राजेन्द्रन :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ताप विद्युत संयंत्रों,उनकी संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता और उनसे उत्पादित हो रही वास्तविक विद्युत का संयंत्र-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विद्युत उत्पादन क्षमता को प्रभावित करने वाली इन विद्युत संयंत्रों की कोयले की मांग और वास्तव में पूर्ति किए जा रहे कोयले की मात्रा का संयंत्र-वार और राज्य-वार क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में कोयले की कमी के कारण संयंत्र-वार विद्युत उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा; और

(घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विद्युत संयंत्रों में कोयले की कमी को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : थर्मल पावर स्टेशनों की संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-२ में दिया गया है। चालू वर्ष (अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013) के दौरान स्टेशनों से उत्पादित विद्युत, जिसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में मॉनीटर किया जा रहा है, का ब्यौरा अनुबंध-२ में दिया गया है।

(ख) : चालू वर्ष (अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013) के दौरान सीईए में मॉनीटर किए जा रहे थर्मल उत्पादन संयंत्रों को कोयले की वास्तविक आपूर्ति की आवश्यकता एवं मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-२ में दिया गया है।

(ग) : विद्युत यूटिलिटियों ने कोयले की कमी के कारण 2012-13 (जनवरी, 2013 तक) 11.7 बिलियन यूनिट (बीयू) की उत्पादन हानि की सूचना दी है। यूटिलिटियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में कोयले की कमी के कारण उत्पादन हानि का राज्य-वार एवं स्टेशन-वार ब्यौरा अनुबंध-२ में दिया गया है।

- (घ): विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।
- (i) कोयला मंत्रालय/ कोल इंडिया लिमिटेड(सीआईएल) से देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
- (ii) विद्यमान खानों से कैप्टिव कोयला ब्लॉक आबंटियों द्वारा कोयला उत्पादन को बढ़ाने पर और नए कोयला ब्लॉकों को चालू करने में तीव्रता लाने के लिए बल दिया गया है।
- (iii) सीआईएल को डिस्कॉमों के साथ दीर्घावधिक विद्युत क्रय करार(पीपीए) करने वाले तथा 31 मार्च, 2015 के पहले चालू हो चुके/तक चालू होने वाले विद्युत संयंत्रों के साथ ईंधन आपूर्ति करार(एफएसए) पर हस्ताक्षर करने का निदेश दिया गया है।
- (iv) गैर प्रोत्साहन लेवी के लिए 80S और प्रोत्साहन लेवी के लिए 90S के ट्रिगर लेवल के साथ 20 वर्षों की अवधि के लिए आश्वासन पत्र(एलओए) में वर्णित कोयले की पूर्ण मात्रा हेतु एफएसए पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- (v) अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सीआईएल 12वीं योजना के अंत तक अपने उत्पादन को उत्तरोत्तर ई-आक्शन के माध्यम से 10S से 7S कोयले में कमी ला सकती है।
- (vi) अपने स्वयं के उत्पादन से एफएसए के अंतर्गत अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए किसी कमी के मामले में सीआईएल आयात या पीएसयू को वाणिज्यिक खनन हेतु आबंटित कोयला ब्लॉकों की व्यवस्था के द्वारा कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था करेगी।
- (vii) उपर्युक्त के अतिरिक्त, विद्युत यूटिलिटीयां बॉयलर की मिश्रण सीमाओं के अधीन कोयले की मांग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए कोयले का आयात कर रही हैं।

लोकसभा में दिनांक 7.3.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1806 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

|||||||

31 जनवरी, 2013 को ताप विद्युत केंद्रों द्वारा राज्यवार प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता

(मेगावाट)

क्र. सं.	राज्य	केंद्र का नाम	कुल क्षमता
1	दिल्ली	राजघाट टीपीएस	135
2		बदरपुर टीपीएस	705.00
3	हरियाणा	यमुना नगर टीपीएस	600
4		राजीव गांधी टीपीएस	1200
5		पानीपत टीपीएस	1360
6		महात्मा गांधी टीपीएस	1320
7		इंदिरा गांधी एसटीपीपी	1500.00
8	उत्तर प्रदेश	नेशनल कैपिटल रिजन पावर स्टेशन	1820
9		रिहंद पावर स्टेशन	2500
10		सिंगरौली टीपीएस	2000
11		टांडा टीपीएस	440
12		उचाहार टीपीएस	1050
13	पंजाब	गुरुनानक देव टीपीएस	440
14		हरगोविंद(लेहसा मो.)टीपीएस	920
15		राइस स्ट्रॉ(जलखेरा)	10
16		रोपर टीपीएस	1260
17	राजस्थान	कोटा टीपीएस	1240
18		गिराल टीपीएस(लिंगनाइट)	250
19		जलीपा कपूडी टीपीपी	540
20		छाबरा टीपीपी	500
21		बरसिंगसर टीपीएस	250.00
22		सूरतगढ़ टीपीएस	1500
23	उत्तर प्रदेश	अनपारा टीपीएस चरण-1	1630
24		हरदुआगंज	665
25		ओबरा टीपीएस	1278
26		पनकी टीपीएस	210
27		परीछा टीपीएस	890
28		अनपारा सी टीपीएस	1200
29		बरखेरा टीपीएस	90
30		मकसूदपुर टीपीएस	90
31		खाम्बरखेड़ा टीपीएस	90
32		कुंडारकी टीपीएस	90
33		उतरौला टीपीएस	90
34		रोजा टीपीएस	1200
35	छत्तीसगढ़	डीएसपीएम टीपीएस कोरबा-२	940
36		हसदेव टीपीएस कोरबा वेस्ट	840
37		लैंको टीपीएस पथाडी1	600
38		कसाइपल्ली टीपीपी	270
39		एसवीपीएल टीपीपी	63
40		काठघोरा टीपीपी	35
41	रायगढ़ टीपीएस सं.।	1000	
42	गुजरात	साबरमती टीपीएस	400
43		मुंद्रा टीपीएस फेज-२	7820
44		सलाया टीपीपी	1200
45		गांधी नगर टीपीएस	660
46		कच्छ लिग. थर्मल पावर स्टेशन	290
47		सिक्का थर्मल पावर स्टेशन	240
48		उकाई थर्मल पावर स्टेशन	850
49		वानकबोरी थर्मल पावर स्टेशन	1260
50		सूरत लिगनाइट थर्मल पावर स्टेशन	500
51		गांधी नगर थर्मल पावर स्टेशन	210
52		वानकबोरी थर्मल पावर स्टेशन	210
53		एक्रीमोटा थर्मल पावर स्टेशन	250
54		मध्य प्रदेश	अमर कंटक टीपीएस
55	बिसिंगपुर(संजय गांधी) थर्मल पावर स्टेशन		1340

56		सतपुरा थर्मल पावर स्टेशन	1080
57		बिना थर्मल पावर स्टेशन	250
58	महाराष्ट्र	दहानु थर्मल पावर स्टेशन	500
59		वर्धा वरोरा टीपीपी	540
60		भुसावळ थर्मल पावर स्टेशन	1420
61		चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन	2340
62		खापरखेरा थर्मल पावर स्टेशन	1340
63		कोराडी थर्मल पावर स्टेशन	1040
64		नासिक थर्मल पावर स्टेशन	630
65		पारस थर्मल पावर स्टेशन	500
66		पाली थर्मल पावर स्टेशन	630
67		नई पाली थर्मल पावर स्टेशन	500
68		तिरौरा टीपीपी	660
69		जीईपीएल टीपीपी	120
70		बुटीबोरी टीपीपी	300
71		मिहान टीपीपी	246
72		जेएसडब्लू इनर्जी टीपीपी(रत्नागिरी)	1200
73	दूंबे थर्मल पावर स्टेशन	1400	
74	आंध्र प्रदेश	कोथामुडेम थर्मल पावर स्टेशन	1720
75		काकटीया थर्मल पावर स्टेशन	500
76		रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन बी	62.5
77		रायल सीमा थर्मल पावर स्टेशन	1050
78		डॉ. एन टाटा राओ टीपीएस	1760
79		थामपीपटनम टीपीपी	150
80		सिम्हाद्रा टीपीपी	300
81	कर्नाटक	तोरांगलू थर्मल पावर स्टेशन	860
82		रायचूर थर्मल पावर स्टेशन	1720
83		उडीपी थर्मल पावर स्टेशन	1200
84		बेल्लारी थर्मल पावर स्टेशन	1000
85	तमिलनाडु	नेवेली थर्मल पावर स्टेशन	250
86		इन्नौर थर्मल पावर स्टेशन	450
87		मेट्टूर थर्मल पावर स्टेशन	1440
88		नौरथ चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन	630
89		तूतीकोरीन थर्मल पावर स्टेशन	1050
90	बिहार	बरोनी थर्मल पावर स्टेशन	210
91		मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन	220
92		बोकारो थर्मल पावर स्टेशन बी	630
93	डीवीसी	चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन	890
94		दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन	1340
95		कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन	500
96		मेजिया थर्मल पावर स्टेशन	2340
97	झारखंड	जोजोबेरा थर्मल पावर स्टेशन	360
98		महादेव प्रसाद एसटीपीपी	270
99		मैथन आर बी टीपीपी	1050
100		पतरातू थर्मल पावर स्टेशन	770
101		तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन	420
102	ओडिशा	स्टर्लाइट(झारसुगुडा) टीपीपी	2400
103		आईबी बैली थर्मल पावर स्टेशन	420
104	प. बंगाल	बज-बज थर्मल पावर स्टेशन	750
105		नई कोसीपुर थर्मल पावर स्टेशन	160
106		सदर्न रिफ्लेसमेंट टीपीएस	135
107		टीटागढ़ थर्मल पावर स्टेशन	240
108		डीपीएल थर्मल पावर स्टेशन	630
109		चीनाकुरी थर्मल पावर स्टेशन	30
110		दीसेरगढ़ थर्मल पावर स्टेशन	18
111			सीबपोर थर्मल पावर स्टेशन
112		बकरेश्वर थर्मल पावर स्टेशन	1050
113		बंडेल थर्मल पावर स्टेशन	450
114		कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन	1260
115		संतालडीह थर्मल पावर स्टेशन	980
116		सागरदीघी थर्मल पावर स्टेशन	600
117	असम	चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन	60
118	केंद्रीय क्षेत्र	कोरबा थर्मल पावर स्टेशन	2600
119		भिलाई थर्मल पावर स्टेशन	500
120		मोदा थर्मल पावर स्टेशन	500

121	सिपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन	2980
122	फरक्का थर्मल पावर स्टेशन	2100
123	कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन	2340
124	तलचर थर्मल पावर स्टेशन (एसटीपीएस)	2500
125	तलचर थर्मल पावर स्टेशन - रू० यूनिट - 3	500
126	तलचर थर्मल पावर स्टेशन ओल्ड	470
127	नेवेली थर्मल पावर स्टेशन (विस्तार)	420
128	नेवेली थर्मल पावर स्टेशन रू०	600
129	नेवेली थर्मल पावर स्टेशन रू०	1470
130	नेवेली थर्मल पावर स्टेशन चरण -रू०	250
131	रामागुंडम थर्मल पावर स्टेशन	2600
132	वल्लुूर थर्मल पावर स्टेशन	500
133	सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन	2000
134	विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन	3760
कुल अखिल भारतीय		121610.88

|||||||

लोकसभा में दिनांक 7.3.2013 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1806 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

|||||||

वर्तमान वर्ष के दौरान (अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013)ताप विद्युत केंद्रों द्वारा केंद्रवार वास्तविक विद्युत उत्पादन

राज्य	केंद्र का नाम	वास्तविक उत्पादन 2012-13(जनवरी 13 तक)	
दिल्ली	राजघाट टीपीएस	670.2	
	बदरपुर टीपीएस	3827.57	
हरियाणा	यमुना नगर टीपीएस	398.98	
	राजीव गांधी टीपीएस	4755.34	
	पानीपत टीपीएस	7892.04	
	महात्मा गांधी टीपीएस	2376.32	
	इंदिरा गांधी एसटीपीपी	4325.49	
पंजाब	जीएच टीपीएस(लेहा मो.)	6346.77	
	जीएच टीपीएस (लेहा मो.)		
	जीएनडी टीपीएस(भटिंडा)	1443.15	
	रोपर टीपीएस	8148.88	
राजस्थान	बरसिंगसर लिग.	988.3	
	छाबरा टीपीपी	2370.48	
	गिराल टीपीएस	364.37	
	जलीपा कपुडी टीपीपी	2942.12	
	कोटा टीपीएस	8111.63	
	सूरतगढ़ टीपीएस	8936.29	
उत्तर प्रदेश	अनपारा टीपीएस	3638.57	
	अनपारा टीपीएस	8475.35	
	बरखेरा टीपीएस	493.72	
	दादरी(एनसीटीपीपी)	11080.44	
	हरदुआगंज टीपीएस	1102.8	
	खांबरखेरा टीपीएस	472	
	कुंडारकी टीपीएस	430.57	
	मकसूदपुर टीपीएस	466.8	
	ओबरा टीपीएस	3349.54	
	पनकी टीपीएस	789.59	
	परीछा टीपीएस	3494.48	
	रिहंद एसटीपीएस	13287.37	
	रोजा टीपीपी फेज-1	6847.03	
	सिंगरौली एसटीपीएस	13403.1	
	टांडा टीपीएस	2596.34	
	उचाहार टीपीएस	7164.46	
	उतरौला टीपीएस	293.63	
	छत्तीसगढ़	भिलाई टीपीएस	3389.59
		डीएसपीएम टीपीएस	3022.47
कसाईपल्ली टीपीपी		1158.58	
काटघोरा टीपीपी		74.52	
कोराबा एसटीपीएस		17100.11	
कोरबा-II		1097.46	
कोरबा-२२		906.59	
कोरबा- वेस्ट टीपीएस		5199.02	
ओपी ज़िंदल टीपीएस		6560.21	
पथाडी टीपीपी		2669.11	
सिपत एसटीपीएस		15266.28	
एसवीपीएल टीपीपी		48.11	
गुजरात	एक्रीमोटा लिग टीपीएस	825.9	
	धुवरण टीपीएस	0	
	गांधी नगर टीपीएस	3427.84	
	कच्छ लिग. टीपीएस	1453.35	

	मुंद्रा टीपीएस	18177.81
	मुंद्रा यूएमटीपीपी	8098.95
	साबरमती (सी स्टेशन)	375.68
	साबरमती (डी-एफ स्टेशन्स)	2082
	सालया टीपीएस	3037.95
	सिक्का आरईपी टीपीएस	675.32
	सूरत एलआईसी टीपीएस	3036.09
	उकाई टीपीएस	4534.47
	वानकबोरी टीपीएस	7542.93
मध्य प्रदेश	अमर कंटक	0
	अमर कंटक टीपीएस	2351.09
	बीना टीपीएस	375.98
	संजय गांधी टीपीएस	7088.78
	सतपुरा टीपीएस	4570.65
	विद्याचल एसटीपीएस	21487.28
महाराष्ट्र	भुसावल टीपीएस	2710.09
	बुटीबोरी टीपीएस	0
	चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)	11567.3
	दहनु टीपीएस	3658.46
	जीईपीएल टीपीएस पीएच-1	311.1
	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीएस	7609.97
	खापरखेडा टीपीएस	6189.86
	कोराडी टीपीएस	2071.17
	नौदा टीपीएस	2.2
	मिहान टीपीएस	672.87
	नासिक टीपीएस	3540.27
	न्यू पारली टीपीएस	
	पारस ईएक्सपी.	
	पारस टीपीएस	2353.34
	पारली टीपीएस	4039.07
	तिरोरा टीपीएस	785.26
	त्रोम्बे टीपीएस	6710.61
	वर्धा वरोरा टीपीएस	2866.02
आंध्र प्रदेश	डॉ.एन. टाटा राव टीपीएस	11077
	जीएमआर एनर्जी लिमिटेड ककीनदा	384.17
	काकाटिया टीपीएस	3326.08
	कोठा गुडम टीपीएस	3789.98
	कोठा गुडम टीपीएस (न्यू)	6444.24
	नील्लोर	
	रामागुडम - बी टीपीएस	353.66
	रामागुडम एसटीपीएस	17185.5
	रायलसीमा टीपीएस	6322.01
	सिम्हादरी टीपीएस	10319.83
	सिम्हादरी टीपीएस	1253.28
	थम्मिनापटनम टीपीएस	225.68
कर्नाटक	बेल्गारी टीपीएस	3052.57
	जीएमआर लिमिटेड - काकीनदा (शिफ्टेड)	
	रायचुर टीपीएस	8326.09
	तोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-1)	1882.03
	तोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-11)	4505.29
	उदुपी टीपीएस	5175.45
तमिलनाडु	इन्नोर टीपीएस	597.7
	मेत्तुर टीपीएस	5201.95
	नेवली (ईएक्सटी) टीपीएस	2716.56
	नेवली ईएलआई टीपीएस-1	3244.5
	नेवली ईएलआईटीपीएस-1	1522.45
	नेवली ईएलआईटीपीएस-11	9218.4
	नेवली ईएलआईटीपीएस-11 ईएक्सपी	28
	नार्थ चेन्नई टीपीएस	4260.07
	टूटीकोरिन टीपीएस	6798.05
	वल्लूर टीपीएस	448.5
बिहार	बरौनी टीपीएस	0
	काहलगांव टीपीएस	12128.89
	मुजफ्फरपुर टीपीएस	0
डीवीसी	बोकारो बी टीपीएस	2641.31
	चन्द्रपुरा (डीवीसी) टीपीएस	4526.28

	दुर्गापुर स्टील टीपीएस	1974.18
	दुर्गापुर टीपीएस	1653.71
	कोडरमा टीपीएस	0
	मेजिया टीपीएस	10534.28
झारखंड	जोजोबेरा टीपीएस	2240.78
	महादेव प्रसाद टीपीएस	79.12
	मैथोन आरबी टीपीएस	3816
	मैत्रीशी ऊषा टीपीएस	0
	पत्रातु टीपीएस	563.66
	टेनू घाट	2437.26
ओडिशा	आईबी वेली टीपीएस	2629.72
	स्टेरलाइट टीपीएस	6803.95
	तालचेर)ओएलडी) टीपीएस	3227.17
	तालचेर एसटीपीएस	17891.37
प. बंगाल	बाकेश्वर टीपीएस	6674.47
	बंडेल टीपीएस	1525.88
	बुड बुंड टीपीएस	4991.68
	चिनाकुरी टीपीएस	1.68
	डी.पी.एल. टीपीएस	1438.7
	दीशरगढ़ टीपीएस	
	फारक्का एसटीपीएस	9539.95
	कोलाघाट टीपीएस	6174.3
	न्यू कोसिपोर टीपीएस	170.41
	सागादिघी टीपीएस	3274.67
	सांतलदीह टीपीएस	1973.32
	साउथर्न आरईपीएल टीपीएस	893.21
	टीटागढ़ टीपीएस	1408.75

|||||||

अनुबंध-III

लोकसभा में दिनांक 07.03.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1806 के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

चालू वर्ष (अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013) के दौरान ताप विद्युत केंद्रों को वास्तविक कोयला आपूर्ति की मात्रा और आवश्यकताओं का राज्य-वार विवरण			
मात्रा 000 टन में			
क्र.सं.	तापीय विद्युत स्टेशन का नाम	आवश्यकता	वास्तविक प्राप्ति
			कुल
			मात्रा
1	2	3	4
1	राजघाट टीपीएस	660	546
2	बदरपुर टीपीएस	3472	3322
3	पानीपत टीपीएस	6240	6034
4	यमुनानगर टीपीएस	2910	409
5	इंदिरा गांधी एसटीपीपी	4720	3077
6	महात्मा गांधी टीपीएस	4688	1681
7	राजीव गांधी टीपीएस	5465	4048
8	जीएच टीपीएस (लेह.मोह)	3720	3625
9	रोपड़ टीपीएस	4246	4853
10	जीएनडी टीपीएस (भटिंडा)	1488	988
11	कोटा टीपीएस	5810	5138
12	सूरतगढ़ टीपीएस	6004	5662
13	छाबड़ा टीपीएस	2068	1421
14	मकसूदपुर टीपीएस	372	403
15	खंवारखेड़ा टीपीएस	372	427
16	बारखेड़ा टीपीएस	375	426
17	कुंडरकी टीपीएस	372	379
18	उतरुला टीपीएस	372	281
19	अनपरा टीपीएस	7276	6347
20	हरदुआगंज टीपीएस	2542	916
21	ओबरा टीपीएस	4093	2736
22	पनकी टीपीएस	828	699
23	परिच्छा टीपीएस	3378	2612
24	दादरी (एनसीटीपीपी)	7604	7170
25	रिहंद एसटीपीएस	10226	8806

26	सिंगरौली एसटीपीएस	9092	9278
27	टांडा टीपीएस	2148	2381
28	ऊंचाहार टीपीएस	4796	5185
29	रोजा टीपीपी चरण-२	4960	3644
30	अनपरा सी टीपीएस	4332	2044
उत्तरी क्षेत्र कुल		114629	94538
31	ओपी जिंदल टीपीएस	4712	4423
32	डीएसपीएम टीपीएस	2316	2077
33	कोरबा-२	2232	2215
34	कोरबा-पश्चिम टीपीएस	4452	4042
35	कोरबा एसटीपीएस	10748	12432
36	सीपत एसटीपीएस	9920	9153
37	पठाडी टीपीपी	2246	2118
38	भिलाई टीपीएस	2068	2198
39	सलाया टीपीपी	1380	1405
40	मुंद्रा टीपीएस	4841	9806
41	गांधीनगर टीपीएस	3804	2315
42	उकई टीपीएस	4117	3473
43	सिक्का रैप. टीपीएस	1535	572
44	वानकबरी टीपीएस	7108	5498
45	साबरमती (सी स्टेशन)	1652	1389
46	मुंद्रा यूएमटीपीपी	1687	3582
47	अमरकंटक एक्स. टीपीएस	1412	1744
48	संजय गांधी टीपीएस	5174	5150
49	सतपुड़ा टीपीएस	5456	4616
50	विंध्याचल एसटीपीएस	16013	15031
51	बीना टीपीएस	96	76
52	जेएसडब्लू रत्नागिरी टीपीपी	2728	3695
53	ट्राम्बे टीपीएस	2316	2368
54	भुसावल टीपीएस	4132	2365
55	चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	9920	9580
56	खापरखेडा टीपीएस	5856	5288
57	कोरडी टीपीएस	3883	1737
58	नासिक टीपीएस	3804	2746

59	पार्ली टीपीएस	4960	3441
60	पारस टीपीएस	2068	1849
61	दाहनु टीपीएस	2232	2258
62	वर्धा वरोरा टीपीपी	1984	1882
63	तिरोरा टीपीएस	1040	368
पश्चिमी क्षेत्र कुल		137892	130892
64	सीम्हापुरी टीपीएस	258	507
65	डा. एन.टाटा राव टीपीएस	7108	8097
66	कोठगुडम टीपीएस	7308	8422
67	रामागुंडम ढबी टीपीएस	288	266
68	रायलसीमा टीपीएस	4132	4141
69	रामागुंडम एसटीपीएस	10912	10643
70	सीम्हाद्री	6966	7543
71	काकातिया टीपीएस	1900	1943
72	तोरनगल्लु टीपीएस (एसबीयू-२)	2148	2323
73	रायचुर टीपीएस	6451	6326
74	बेल्हारी टीपीएस	3308	2183
75	उडुपी टीपीपी	2892	2137
76	एन्नौर टीपीएस	1652	748
77	मेत्तूर टीपीएस	4448	3224
78	उत्तरी चेन्नई टीपीएस	4960	2923
79	तूतीकोरिन टीपीएस	4796	5419
80	वेल्लूर टीपीपी	195	197
दक्षिणी क्षेत्र कुल		69722	67042
81	बरौनी टीपीएस	164	0
82	मुजफ्फरपुर टीपीएस	332	0
83	कहलगांव टीपीएस	10332	11019
84	पतरातू टीपीएस	496	683
85	तेनुघाट टीपीएस	1240	1698
86	बोकारो ंबी२ टीपीएस	2480	2377
87	चंद्रपुर (डीवीसी) टीपीएस	4132	3506
88	मैथन आरबी टीपीपी	3720	2755
89	कोडरमा टीपीपी	486	0
90	महादेव प्रसाद एसटीपीपी	0	0

91	आई बी वैली टीपीएस	2048	2262
92	तालचेर (ओल्ड) टीपीएस	2316	2535
93	तालचेर एसटीपीएस	14468	14269
94	स्टरलाइट टीपीपी	7308	5096
95	दुर्गापुर टीपीएस	1240	1385
96	मेजिया टीपीएस	6612	7003
97	बाकरेश्वर टीपीएस	4914	4380
98	बंडेल टीपीएस	1235	1388
99	डी.पी.एल. टीपीएस	1840	1303
100	कोलाघाट टीपीएस	4851	5377
101	सागरदीघि टीपीएस	2068	2148
102	संतालडीह टीपीएस	1652	1365
103	बज बज टीपीएस	2728	3076
104	न्यू कोसीपोर टीपीएस	372	205
105	दक्षिणी रिपैल. टीपीएस	704	646
106	टीटागढ टीपीएस	1076	913
107	फरक्का एसटीपीएस	9092	7369
108	दुर्गापुर स्टील टीपीएस	3109	1190
पूर्वी क्षेत्र कुल		91015	83948
अखिल भारत कुल		413258	376420

लोकसभा में दिनांक 07.03.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1806 के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

पिछले तीन वर्षों में और चालू वर्ष (जनवरी, 2013 तक) में कोयले की कमी के कारण उत्पादन हानि

क्र.सं.	विद्युत यूटिलिटीयों के नाम/टीपीएस	उत्पादन हानि (एम.यू.) के दौरान			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	दिल्ली				
	बदरपुर (एनटीपीसी)			13.60	
	कुल	0	0	13.6	
2	हरियाणा				
	महात्मा गांधी (जेपीएल)			11.9	1562
	इंदिरा गांधी(एनटीपीसी इंस.उ.)			2	0
	कुल	0	0	13.9	1562
3	राजस्थान				
	छाबड़ा			138.5	
	कुल	0	0	138.5	
4	उत्तर प्रदेश				
	सिंगरौली (एनटीपीसी)	0.0	69.0	187.50	
	रिहंद (एनटीपीसी)	0.0	5.0	152.10	159.0
	दादरी(एनटीपीसी)	0.40		191.50	169.0
	ऊंचाहार (एनटीपीसी)	0.30		132.10	18.0
	रोजा (रिलायंस)				611.9
	अनपरा सी (लैंको)			1023.80	1441.0
	कुल	0.7	74.0	1687	2398.9
5	छत्तीसगढ़				
	सीपत (एनटीपीसी)	142.5			1471.0
	कोरबा (एनटीपीसी)	4.1			24.0
	कुल	146.6	0.0	0	1495.0
6	गुजरात				
	गांधीनगर	5.0	105.7	1.6	

	वानकबरी	1491.0	157.4	9.3	
	कुल	1496.0	263.1	10.90	
7	मध्यप्रदेश				
	बीरसिंहपुर		634.0	94.0	
	सतपुड़ा		471.0	216.7	27.0
	अमरकंटक				5.1
	विंध्याचल (एनटीपीसी)	0.4	229.9	749.0	692.00
	कुल	0.4	1334.9	1059.7	724.10
8	महाराष्ट्र				
	नासिक	146.2			
	पार्ली	411.7		594.4	460.4
	पारस	49.6		109.8	
	भुसावल	155.5			
	चंद्रपुर	88.4			59.1
	खापेरखेड़ा	356.4		36.5	672.6
	कोरडी	12.8			0
	कुल	1220.5	0	740.7	1192.1
9	कर्नाटक				
	बेल्लारी				918.0
	रायचूड़			52.2	0.0
	कुल			52.2	918.0
10	आंध्रप्रदेश				
	रायलसीमा			17.0	
	एन.टाटा राव				
	काकातिया			28.0	
	कोठगुंडम			53.0	
	रामगुंडम (एनटीपीसी)			546.2	5.0
	सीमहाद्री (एनटीपीसी)	1.3		498.6	548.0
	कुल	1.3	0	1142.8	553.0
11	तमिलनाडु				
	तूतिकोरिन				
	एन्नौर	65.7	41.3		
	मेडूर	18.1	132.3		

	उत्तरी चेन्नई		3.3		
	कुल	83.9	176.9	0.0	
12	बिहार				
	बरौनी	39.5		51.1	
	कहलगांव (एनटीपीसी)	3997.0	3749.2	4820.5	232.0
	कुल	4036.5	3749.2	4871.6	232
13	झारखंड				
	मेजिया टीपीएस(डीवीसी)	2635.2	1026.6	950.9	596.8
	बोकारो (डीवीसी)				
	चंद्रपुर(डीवीसी)			96.0	
	तेनुघाट			275.0	0
	कुल	2635.2	1026.6	1321.9	596.8
14	ओडिशा				
	आईबी वैली				
	तालचेर (एनटीपीसी)	1094.0	872.5	383.6	1021.0
	तालचेर (एनटीपीसी)	0.1			0
	कुल	1094.1	872.5	383.6	1021.0
15	पश्चिम बंगाल				
	बकरेश्वर	299.2	76.2		
	बंडेल	74.7	72.7		
	कोलाघाट	722.3	136.9		
	सागरदिघी	415.2	348.7		29.0
	संतालउह	1.2			
	दक्षिणी रीडपीएल (सीईएससी)				
	न्यू कोसीपोर (सीईएससी)				
	बज बज (सीईएससी)		81.0		
	फरक्का (एनटीपीसी)	2122.2	170.0	195.1	1014
	दुर्गापुर (डीपीएल)	136.6			0
	कुल	3771.5	885.5	195.1	1043.00
	कुल योग	14486.8	8382.7	11631.5	11736

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1807.

जिसका उत्तर 07 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

1807. श्री अंजन कुमार एम. यादव :

श्री पन्ना लाल पुनिया :

श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट :

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :

श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया :

डॉ. संजीव गणेश नाईक :

श्री जयवंत गंगाराम आवले :

श्री के.डी. देशमुख :

श्री सुदर्शन भगत :

श्री कपिल मुनि करवारिया :

श्री कीर्ति आजाद :

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :

श्री रामसिंह राठवा :

श्री जी.एम. सिद्धेश्वर :

श्री निलेश राणे :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि जारी की गई और कितनी खर्च की गई;
- (ख) उन स्थानों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जिन्हे आरजीजीवीवाई के अंतर्गत अब तक सम्मिलित किया गया और जिन्हें धनराशि जारी करने के बावजूद अब तक सम्मिलित नहीं किया गया है;
- (ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और अगले वर्ष के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या हैं, और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
- (घ) आरजीजीवीवाई के दूसरे चरण में स्वीकृत/लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा दूसरे चरण में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी अतिरिक्त धनराशि आबंटित किए जाने की संभावना है ; और
- (ङ) आरजीजीवीवाई के अंतर्गत किए गए कार्यों के मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानी के लिए नियुक्त स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं और इसके अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

- (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत, मंजूर की गई परियोजनाओं के लिए पिछली किश्तों में राशि के उपयोग और अन्य शर्तों को पूरा किए जाने की रिपोर्ट के आधार पर, राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को किश्तों में निधियां जारी की जाती हैं। राज्य सरकारें

अपनी यूटिलिटीयों/डिस्कॉमों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से टर्नकी ठेकेदारों को भुगतान करती हैं। गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों/कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-४ पर है।

(ख) आरजीजीवीवाई के अंतर्गत, 27 राज्यों के 579 जिलों को शामिल करते हुए 648 परियोजनाएं 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शामिल की गई हैं। स्कीम के अंतर्गत, मंजूर की गई परियोजनाओं के लिए निधियां केवल पिछली किशतों में राशि के उपयोग और अन्य शर्तों को पूरा करने संबंधी रिपोर्ट के आधार पर किशतों में जारी की जाती हैं, अतः ऐसा कोई जिला नहीं है जिसके लिए निधियां जारी की गई हों किन्तु वह आरजीजीवीवाई के अंतर्गत शामिल न हो।

(ग) गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत गैर-विद्युतीकृत गांवों के लक्ष्यों एवं उपलब्धि और बीपीएल घरों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन जारी किए जाने का राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः अनुबंध-४ और अनुबंध-४ पर है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे अनुवर्ती कदम निम्नवत हैं-

- भारत सरकार ने अंतर्मंत्रालयी निगरानी समिति का गठन किया है जो परियोजनाओं को मंजूरी देने और कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आवधिक रूप से बैठक करती है।
- सभी राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए जिला समितियों का गठन किया गया है।
- राज्य भी आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन में आने वाले अवरोधों को दूर करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मासिक बैठक का आयोजन करते हैं।
- भारत सरकार और रुरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी), जो कि आरजीजीवीवाई की नोडल एजेंसी है, सहमत कार्यक्रम के अनुसार स्कीम के तीव्र कार्यान्वयन हेतु सभी पणधारियों, संबंधित राज्य सरकारों, राज्य विद्युत यूटिलिटीयों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ बार-बार समीक्षा बैठकों का आयोजन करते हैं।
- ग्रामीण विकास मंत्री ने दिनांक 6 दिसम्बर, 2012 के पत्र संख्या क्यू-13018/11/09-वीएमसी के माध्यम से जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठकों में नियमित कार्यसूची के रूप में 'आरजीजीवीवाई की समीक्षा' के लिए जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया है।
- हाल ही में विद्युत मंत्री ने सभी माननीय संसद सदस्यों को, उनके अपने-अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में, जहां आरजीजीवीवाई का कार्य प्रगति पर है, परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए, उनके संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में परियोजना की प्रगति को दर्शाते हुए पत्र लिखा है। उनसे अपने स्तर पर परियोजनाओं की निगरानी करने का अनुरोध भी किया गया है और जन प्रतिनिधियों तथा जिला अधिकारियों की उपस्थिति में जिला जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठकों में चर्चा करने का भी अनुरोध किया गया है ताकि प्रगति को प्रभावित करने वाले मामलों को तेजी से निपटाया जा सके।
- ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के गुणवत्तापरक निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए, 11वीं योजना में आरजीजीवीवाई के अंतर्गत त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र लागू किया गया है।
- जहां भी वन स्वीकृति/रेलवे स्वीकृति आदि में विलंब होता है तथा अंतर-मंत्रालयी मध्यस्थता अपेक्षित होती है वहां पर अनिवार्य स्वीकृतियों के मामले में तीव्रता लाने के लिए विभिन्न स्तरों पर संबंधित मंत्रालय/रेलवे बोर्ड के साथ मामलों को उठाया जाता है।

(घ) 8103.81 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ 1909 यूई गांवों, 53,505 पीई गांवों, 72,553 वास-स्थलों के विद्युतीकरण और 45,59,141 बीपीएल घरों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन जारी करने को शामिल करते हुए, 2011-12 की तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत 11वीं योजना में चरण-४ के अंतर्गत 72 परियोजनाओं (33 नई और 39 पूरक परियोजना) को मंजूरी प्रदान की गई थी। इसका राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-४ में है। आरजीजीवीवाई के चरण-४ के अंतर्गत कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ड.) 11वीं योजना के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत निष्पादित कार्यों के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानी हेतु नियुक्त स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं तथा किए गए निरीक्षण का ब्यौरा **अनुबंध-६** में है।

लोकसभा में दिनांक 7.3.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1807 के भाग(क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

|||||||

गत तीन वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत आरईसी द्वारा संवितरित राज्यवार एवं वर्षवार निधियां (ऋण और सब्सिडी सहित)

रूपये करोड़ में

क्रम सं.	राज्य का नाम	2009-10 के दौरान	2010-11 के दौरान	2011-12 के दौरान	2012-13 के दौरान (31.01.2013 की स्थिति के अनुसार)	जारी की गई संवित निधियां (वर्ष 2009-10 से पहले जारी निधियों सहित)
1	आंध्र प्रदेश	157.20	154.86	31.48	15.13	804.12
2	अरुणाचल प्रदेश	225.27	165.54	40.01	32.15	737.76
3	असम	499.76	698.42	545.27	55.75	2413.48
4	बिहार	706.28	571.58	289.72	21.06	3886.66
5	छत्तीसगढ़	333.55	163.67	120.37	30.08	846.43
6	गुजरात	94.32	76.80	30.62	1.35	286.98
7	हरियाणा	60.68	21.27	20.97	0.00	177.74
8	हिमाचल प्रदेश	122.46	59.90	21.25	0.00	290.55
9	जम्मू व कश्मीर	363.92	67.32	75.56	46.79	784.15
10	झारखंड	752.36	161.89	116.53	80.63	3065.89
11	कर्नाटक	67.61	62.92	48.95	9.25	741.68
12	केरल	10.59	31.89	0.00	55.93	119.37
13	मध्य प्रदेश	416.48	288.27	430.99	152.85	1737.33
14	महाराष्ट्र	205.64	162.09	55.00	11.48	595.86
15	मणिपुर	63.17	95.95	80.12	0.00	297.18
16	मेघालय	129.38	86.86	105.05	32.80	386.22
17	मिजोरम	81.02	78.28	0.00	0.00	238.24
18	नागालैंड	54.37	61.86	28.14	12.93	226.67
19	ओडिशा	998.60	605.73	390.35	79.55	3308.72
20	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	59.90
21	राजस्थान	151.44	83.18	221.51	29.89	1108.87
22	सिक्किम	44.91	43.62	40.73	0.00	172.89
23	तमिलनाडु	119.30	39.12	41.40	0.00	317.32
24	त्रिपुरा	52.30	33.96	52.38	11.01	175.73
25	उत्तर प्रदेश	192.94	72.45	95.48	32.51	3401.01
26	उत्तराखंड	102.06	9.70	-0.07	18.55	685.90
27	पश्चिम बंगाल	582.91	505.10	168.01	7.68	2288.34
	कुल	6588.52	4402.23	3049.82	737.37	29154.99

|||||||

लोकसभा में दिनांक 7.3.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1807 के भाग(ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

|||||

गत तीन वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण के राज्यवार एवं वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्रम सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (31.01.2013 की स्थितिनुसार)		31.1.2013 को संचित उपलब्धि (वर्ष 2009-10 के पहले की उपलब्धि सहित)
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	आंध्र प्रदेश।	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	277	215	600	464	1450	634	392	247	1560
3	असम	1030	1198	2380	4086	2062	1810	353	161	7990
4	बिहार	2530	2584	1723	1937	2230	1048	1577	536	22565
5	छत्तीसगढ़	79	48	41	77	901	682	695	84	941
6	गुजरात।	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	हरियाणा।	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	हिमाचल प्रदेश	3	0	20	26	83	52	17	5	83
9	जम्मू व कश्मीर	36	22	75	45	136	35	91	25	173
10	झारखंड	7592	7088	4650	3901	2153	724	982	177	18082
11	कर्नाटक	0	0	10	1	0	2	0	1	62
12	केरल।	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	42	5	150	187	492	228	163	62	566
14	महाराष्ट्र।	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	मणिपुर	140	35	150	143	591	345	330	0	616
16	मेघालय	29	47	200	13	1616	1022	694	434	1606
17	मिजोरम	56	0	40	36	81	53	48	5	94
18	नागालैंड	10	14	25	43	38	22	26	5	84
19	ओडिशा	4765	5870	6773	5890	2162	1039	380	98	14324
20	पंजाब।	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	राजस्थान	562	773	550	1258	418	182	231	103	4102
22	सिक्किम	8	0	5	20	5	5	0	0	25
23	तमिलनाडु।	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	त्रिपुरा	30	13	48	65	82	49	21	16	143
25	उत्तर प्रदेश	0	56	0	23	0	0	0	3	27762
26	उत्तराखंड	47	80	0	28	0	2	0	0	1511
27	पश्चिम बंगाल	264	326	60	63	0	0	0	16	4185
	कुल	17500	18374	17500	18306	14500	7934	6000	1978	106474

आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, केरल महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में इन राज्यों द्वारा डीपीआर में किसी भी गैर विद्युतीकृत गाँव का प्रस्ताव नहीं किया गया । तथापि इन राज्यों में पहले में ही विद्युतीकृत गांवों में गहन विद्युतीकरण किया जा रहा है ।

|||||

लोकसभा में दिनांक 7.3.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1807 के भाग(ग) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

|||||||

गत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आरजीजीवीवाई के अंतर्गत बीपीएल घरों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन देने के राज्यवार एवं वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र. सं.	राज्य	2009-10 के दौरान		2010-11 के दौरान		2011-12 के दौरान		2012-13 के दौरान (31.01.2013 की स्थिति के अनुसार)		31.1.2013 की स्थिति के अनुसार संचित उपलब्धि (वर्ष 2009-10 से पहले हासिल उपलब्धि सहित)
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	आंध्र प्रदेश	592200	566518	85000	258751	96855	98232	0	81117	2783390
2	अरुणाचल प्रदेश	2820	967	5000	9205	10638	11474	5507	2969	24615
3	असम	206800	189816	285000	352237	315819	232519	343464	75264	882554
4	बिहार	310200	560985	660000	641016	717358	405736	625733	155870	2305704
5	छत्तीसगढ़	103400	145990	175000	196552	334460	481971	247434	28696	944103
6	गुजरात	160740	85931	95000	420126	138987	102134	70904	24970	827788
7	हरियाणा	80355	69453	40000	90535	33139	10617	43258	19	104461
8	हिमाचल प्रदेश	564	148	1000	3637	4364	5901	3199	4675	14753
9	जम्मू व कश्मीर	8460	14163	20000	8452	19793	13413	37784	6998	51012
10	झारखंड	578100	555289	415000	359213	466502	111597	213727	11015	1283770
11	कर्नाटक	236880	134949	35000	48861	72281	49604	121791	22205	856401
12	केरल	5740	6131	0	1117	18517	0	38517	35755	52993
13	मध्य प्रदेश	238001	75477	245000	211816	658498	352976	581845	225340	942734
14	महाराष्ट्र	329000	429026	250000	403387	150000	126317	43692	19552	1180284
15	मणिपुर	3760	1640	20000	4397	37976	19421	78555	0	28814
16	मेघालय	4230	17832	20000	12880	27502	30792	46929	20299	83067
17	मिजोरम	6580	378	5000	8129	8910	6236	12674	401	15144
18	नागालैंड	3760	4368	10000	13434	18097	10712	41385	7548	36062
19	ओडिशा	761400	650678	1290000	1435007	1060424	518324	293830	54084	2802221
20	पंजाब	37600	19507	20000	28890		5528	94935	25179	79104
21	राजस्थान	258500	208695	133000	255939	133399	85783	180713	76720	1120242
22	सिक्किम	940	66	1000	7121	3271	2179	2119	329	9695
23	तमिलनाडु	141000	383533	75000	115044	0	4083	0	-1754	501202
24	त्रिपुरा	6110	22085	55000	36886	49066	22015	26520	16639	97625
25	उत्तर प्रदेश	37600	157263	0	15818	0	172574	0	-1901	1042583
26	उत्तराखंड	37600	72382	0	19596	0	5288	0	4035	234593
27	पश्चिम बंगाल	547660	345198	780000	925309	824144	559476	525485	194165	2120548
कुल		4700000	4718468	4700000	5883355	5200000	3444902	3680000	1080189	20515472

|||||||

लोकसभा में दिनांक 7.3.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1807 के भाग(घ) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

|||||||

आरजीजीवीवाई के चरण-II में स्वीकृत 72 परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	जिला का नाम	गांवों एवं वासस्थलों का कवरेज						वासस्थलों का कवरेज		परियोजना लागत (रूपये लाख में)
		यूईजीई गांव	पीई गांव	कुल गांव	यूई वासस्थल	पीई वासस्थल	कुल वासस्थल	आरएचएच (बीपीएल वासस्थलों सहित)	बीपीएल वासस्थल	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
नई परियोजनाएं										
छत्तीसगढ़										
1	कोरिया	82	441	523	855	0	855	29057	23571	8132.31
2	जाशपुरनगर	44	636	680	1750	0	1750	97497	60763	9370.86
कुल छत्तीसगढ़		126	1077	1203	2605	0	2605	126554	84334	17503.17
हरियाणा										
3	गुडगांव	0	202	202	0	0	0	19286	8325	424.04
4	फरीदाबाद	0	145	145	0	0	0	3944	3944	443.95
5	पलवल	0	278	278	0	0	0	9163	9163	833.54
कुल हरियाणा		0	625	625	0	0	0	32393	21432	1701.53
कर्नाटक										
6	दक्षिण कन्नड	0	356	356	98	0	98	31445	22121	5947.19
7	उडुपी	0	231	231	50	0	50	10288	5661	2157.06
कुल कर्नाटक		0	587	587	148	0	148	41733	27782	8104.25
केरल										
8	अलाप्पुझा	0	77	77	0	183	183	26121	5486	1366.81
9	एरनाकुलम	0	90	90	0	210	210	25450	3828	2471.24
10	कोलम	0	92	92	0	123	123	7229	718	328.05
11	कोटायम	0	84	84	0	84	84	1800	1118	796.51
12	पथानामथिट	0	65	65	0	74	74	8833	1977	575.65
13	तिरुवंतपुर	0	91	91	0	211	211	3633	3034	2182.13
14	त्रिसूर	0	144	144	0	199	199	3361	2678	1262.70
कुल केरल		0	643	643	0	1084	1084	76427	18839	8983.09
मध्य प्रदेश										
15	भिंड	5	884	889	0	400	400	133726	35509	5215.48
16	भोपाल	0	499	499	210	0	210	26917	15989	2449.26
17	ग्वालियर	0	583	583	0	11	11	66745	20067	3066.24
18	होशंगाबाद	0	896	896	0	106	106	78692	28649	5182.19
19	रायसेन	3	1376	1379	0	181	181	72477	29389	6541.56
20	राजगढ़	6	1671	1677	0	79	79	132565	51418	9187.11
21	सिहोर	2	1011	1013	0	123	123	75184	16600	4986.17
22	विदिशा	19	1501	1520	0	90	90	100134	33972	7939.31
23	बरवानी	0	647	647	154	0	154	34403	21975	5327.82
24	बुरहानपुर	0	260	260	146	0	146	39996	26213	2352.65
25	देवास	0	1055	1055	188	0	188	51152	27156	5801.26
26	खांडवा	0	510	510	147	0	147	41566	21568	4188.10
27	खारागोन	6	1169	1175	0	85	85	84029	44471	8994.26
28	मंदसौर	0	906	906	0	0	0	56567	20580	4598.38
29	नीमच	0	451	451	0	0	0	23636	8558	2332.11
30	शाजापुर	0	1068	1068	0	7	7	81772	37935	5883.61
कुल मध्य प्रदेश		41	14487	14528	845	1082	1927	1099561	440049	84045.51
तमिलनाडु										
31	धरमपुरी	0	251	251	4	0	4	24035	6002	1072.48
32	तिरुनवेली	0	425	425	370	0	370	73374	9477	1891.02
33	निलगिरी	0	53	53	79	0	79	24827	8890	763.87
कुल तमिलनाडु		0	729	729	453	0	453	122236	24369	3727.37
कुल (33 नयी डीपीआर)		167	18148	18315	4051	2166	6217	1498904	616805	124064.9
सहायक परियोजना										
बिहार										
1	अररिया	109	590	699	1337	934	2271	267352	267352	23409.76

2	बांका	91	1567	1658	516	2150	2666	160300	160300	19912.31
3	भोजपुर	115	884	999	136	1195	1331	236433	236433	16909.34
4	गया	402	2283	2685	1253	3788	5041	275296	275296	49841.2
5	किशनगंज	184	438	622	2493	722	3215	221900	221900	24093.49
6	नालंदा	42	956	998	834	1898	2732	273647	304109	30753.8

7	नवादा	22	947	969	1743	408	2151	161658	161658	21839.7
8	पटना	96	1158	1254	1444	1279	2723	378569	378569	32007.69
9	पूर्णिया	190	906	1096	1107	3043	4150	365941	365941	17362.6
10	रोहतास	70	1640	1710	277	1547	1824	247396	247396	42062.88
11	सिवान	17	1421	1438	292	3838	4130	279374	279374	34811.3
कुल बिहार		1338	12790	14128	11432	20802	32234	2867866	2898328	313004.1
मध्य प्रदेश										
12	बालाघाट	115	0	115	115	0	115	3648	3648	3445.07
13	सिधी	5	296	301	0	518	518	25201	13776	2926.95
14	छतरपुर	16	526	542	226	0	226	87017	30547	4750.08
15	सतना	6	326	332	31	680	711	16414	8694	3152.43
कुल मध्य प्रदेश		142	1148	1290	372	1198	1570	132280	56665	14274.53
महाराष्ट्र										
16	सोलापुर	0	1139	1139	0	686	686	39407	19279	3364.2
कुल महाराष्ट्र		0	1139	1139	0	686	686	39407	19279	3364.2
उत्तर प्रदेश										
17	एटा	0	269	269	520	0	520	59123	17764	4341.84
18	कन्नौज	54	321	375	822	0	822	100544	20110	7722.53
19	मैनपुरी	31	244	275	614	0	614	59224	20743	6072.23
20	अम्बेडकर नगर	0	1231	1231	2233	0	2233	121227	44660	22000.26
21	बाराबंकी	0	1583	1583	2770	0	2770	329923	55400	30991.03
22	बेहराईच	0	627	627	1318	0	1318	379527	26360	13050.13
23	फैजाबाद	0	840	840	1349	0	1349	108372	26980	14288.04
24	गोंडा	0	796	796	1725	0	1725	295174	36225	17592.45
25	हरदोई	0	761	761	1567	0	1567	187137	32251	15551.93
26	लखीमपुर	0	1505	1505	3027	0	3027	494621	54486	30268.19
27	शाहजहापुर	0	1709	1709	1994	0	1994	314668	39880	20703.27
28	उन्नाव	0	1552	1552	3323	0	3323	193598	66500	30725.77
29	बिजनौर	87	1655	1742	29	0	29	160702	17681	13545.29
30	मुजफ्फरनगर	0	820	820	2	0	2	147443	33384	9777.18
31	बुलंदशहर	73	1134	1207	551	0	551	395108	46722	12399.12
32	इलाहाबाद	0	737	737	1351	0	1351	172808	48780	12402.67
33	बलिया	0	603	603	984	0	984	163981	72491	9918.02
34	देवरिया	0	302	302	584	0	584	79556	26253	7042.36
35	गोरखपुर	0	1450	1450	2011	0	2011	252491	58519	21299.94
36	जौनपुर	0	930	930	2311	0	2311	318716	159358	28613.47
37	प्रतापगढ़	0	639	639	1081	0	1081	65766	20526	11512.41
38	सिद्धार्थ नगर	0	283	283	503	0	503	27836	18568	5516.73
कुल उत्तर प्रदेश 22 परियोजनाएं		245	19991	20236	30669	0	30669	4427545	943641	345334.9
पश्चिम बंगाल										
39	दाजलिग	17	289	306	82	1095	1177	50746	24423	10338.41
कुल पश्चिम बंगाल		17	289	306	82	1095	1177	50746	24423	10338.41
कुल (39अनुपूरक डीपीआर)		1742	35357	37099	42555	23781	66336	7517844	3942336	686316.1
कुल (33 नई डीपीआर)		167	18148	18315	4051	2166	6217	1498904	616805	124064.9
सकल योग (33 नई & 39 अनुपूरक)		1909	53505	55414	46606	25947	72553	9016748	4559141	810381

|||||||

अनुबंध-ज

लोकसभा में दिनांक 7.3.2013 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1807 के भाग(ड) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

|||||

स्तर-एनक्यूएम प्रगति रिपोर्ट

31.01.2013 की स्थिति के अनुसार

क्रम सं.	राज्य का नाम	एजेंसी का नाम	एनक्यूएम का स्कोप		निरीक्षण किया गया	
			गांव	एस/ एस	गांव	एस/ एस
1	आंध्र प्रदेश	मेसर्स इंटरटेक	58	1	45	1
2	पंजाब		118	1	0	0
3	हरियाणा		49	0	22	0
4	महाराष्ट्र		362	2	293	2
5	राजस्थान		220	0	162	0
6	बिहार		126	28	86	12
7	झारखंड		140	17	92	8
8	ओडिशा		375	42	267	19
9	तमिलनाडु		102	0	102	0
10	प. बंगाल		238	5	133	0
11	अरुणाचल प्रदेश	मेसर्स शंथाला	33	9	11	0
12	मिजोरम		6	8	2	0
13	सिक्किम		3	0	2	0
14	हिमाचल प्रदेश	मेसर्स मेधाज	98	2	0	0
15	गुजरात		157	0	128	0
16	मध्य प्रदेश		248	10	105	0
17	छत्तीसगढ़		141	14	80	5
18	असम	मेसर्स वैपकोस	185	17	153	10
19	कर्नाटक	मेसर्स सीइएस	66	9	49	0
20	जम्मू व कश्मीर		37	8	11	2
21	मणिपुर		19	9	2	0
22	मेघालय		42	3	17	0
23	नागालैंड		10	11	8	5
24	त्रिपुरा		8	4	3	0
सकल योग			2841	200	1773	64

|||||

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1808.

जिसका उत्तर 07 मार्च, 2013 को दिया जाना है ।

डाभोल विद्युत परियोजना

1808. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :

श्री ए. गणेशमूर्ति :

श्री आनंद प्रकाश परांजपे :

श्री कालीकेश नारायण सिंह देव :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाभोल स्थित रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राईवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) द्वारा उत्पादित विद्युत की मात्रा गत वर्षों में कम हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी संस्थापित क्षमता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान संयंत्र से विद्युत उत्पादन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से डाभोल विद्युत संयंत्र का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस पर केंद्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं /उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क): जी हां ।

(ख): रत्नागिरी गैस एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) विद्युत खण्ड की कुल क्षमता 1967.08 मेगावाट (एम.डब्ल्यू) है जिसमें तीन विद्युत खण्ड शामिल हैं । संपूर्ण विद्युत खण्ड का पुनरुद्धार किया जा चुका है तथा यह 19 मई, 2009 से वाणिज्यिक प्रचालन के लिए उपलब्ध है ।

आरजीपीपीएल का संपूर्ण विद्युत खण्ड भारत सरकार द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रिज लिमिटेड (आरआईएल) केजी डी6 खण्ड से ₹ 7.6 मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी)ट तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस कंपनी (ओएनजीसी) के मार्जनाल फील्डस से (0.9 एमएमएससीएमडी) आबंटित घरेलू गैस पर पूरी तरह से प्रचालित किए जाने के लिए परिकल्पित है ।

भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (जीएआईएल) ने उनके तथा ओएनजीसी के बीच की तकनीकी बाध्यताओं के कारण 0.9 एमएमएससीएमडी गैस की आपूर्ति करने में कठिनाई दर्शायी है। तथापि, गेल 30 जनवरी, 2012 से इसकी कुछ मात्रा की आपूर्ति अन्य उपभोक्ताओं के साथ अदला-बदली के माध्यम से कर रहा था, परंतु इसे भी 4 मार्च, 2013 से पूरी तरह से रोक दिया गया है ।

अधिकार प्राप्त मंत्री-समूह (ईजीओएम) द्वारा केजी डी6 बेसिन से आबंटित की गई 7.6 एमएमएससीएमडी गैस के संबंध में, सितंबर, 2011 से आपूर्ति में निरंतर कमी आ रही है तथा यह 1 मार्च, 2013 से पूरी तरह से बंद हो गई है क्योंकि आरआईएल ने विद्युत क्षेत्र की तुलना में उर्वरक क्षेत्र तथा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) में, केजी डी6 गैस की आपूर्ति में उच्च प्राथमिकता रखते हुए पाइप लाइन के प्रचालन में आवश्यक गैस की जरूरत को पूरा करने के पश्चात आरजीपीपीएल की केजी डी 6 गैस की आपूर्ति में पूर्ण कटौती कर दी है ।

आरजीपीपीएल से वर्षवार विद्युत उत्पादन निम्नानुसार है :

वित्त वर्ष	संस्थापित क्षमता	मिलियन यूनिटों(एमयू) में सकल उत्पादन
2009-10	1967.08 एम डब्ल्यू	8289 एमयू (वार्षिक लक्ष्य: 7500 एमयू)
2010-11	1967.08 एम डब्ल्यू	11877 एमयू (वार्षिक लक्ष्य: 11340 एमयू)
2011-12	1967.08 एम डब्ल्यू	11619 एमयू (वार्षिक लक्ष्य: 13815 एमयू)
2012-13 (फरवरी, 2013 तक)	1967.08 एम डब्ल्यू	5122 एमयू (वार्षिक लक्ष्य: 13785 एमयू)

(ग): मंत्रालय को ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) और (ङ): उपर्युक्त (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1824.

जिसका उत्तर 07 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

कुल तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे

1824. श्री रघुवीर सिंह मीणा :

श्री अर्जुन राय :

डॉ. मुरली मनोहर जोशी :

श्रीमती सुप्रिया सुले :

श्री राजय्या सिरिसिल्ला :

श्री पी.आर. नटराजन :

श्री कालीकेश नारायण सिंह देव :

श्री एम. कृष्णा स्वामी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान पारेषण और वितरण (टी.एण्ड.डी.) के कारण हुए विद्युत घाटे का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इस घाटे को न्यूनतम करने के लिए किए जा रहे उपाय क्या हैं;

(ख) अन्य देशों की तुलना में अपने देश में हो रहे कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटी एण्ड सी) घाटों का मौजूदा स्तर क्या है तथा इस संबंध में घाटों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं;

(ग) '2012 तक सबको बिजली' योजना के लक्ष्य और उपलब्धियां क्या हैं तथा क्या उक्त योजना शुरू होने के बावजूद देश की जनसंख्या का एक तिहाई हिस्सा अभी भी विद्युत रहित और व्यस्ततम समय में आपूर्ति बहुत कम है; और

(घ) यदि हां, तो देश के सभी नागरिकों को व्यस्ततम समय में बिजली आपूर्ति कटौती को कम करने और बाधा रहित विद्युत आपूर्ति देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) सामान्य समीक्षा के अनुसार वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के लिए पारेषण व वितरण (टी एंड डी) के कारण हुई विद्युत की हानि का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-र पर दिया गया है।

विद्युत एक समवर्ती विषय है तथा बिजली वितरण का दायित्व राज्यों का होता है। भारत सरकार उपभोक्ताओं को बेहतर तरीके से बिजली मुहैया कराने के राज्य सरकारों के प्रयास के अनुपूरण के लिए सुविधा प्रदाता के रूप में काम करती है।

(ख) : वर्ष 2008-09 से 2010-11 के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटीयों के निष्पादन पर पावर फाइनैस कारपोरेशन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010-11 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ए टी एंड सी) हानियां 26.15s थीं जबकि उपलब्ध सूचना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टी एंड डी हानियां 6s से 8s तक हैं।

देश में वितरण क्षेत्र में सुधार करने के लिए और ए टी एंड सी हानियां कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम **अनुबंध- २२** में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) : भारत सरकार ने ग्रामीण घरों तक बिजली पहुँचाने के लिए ग्रामीण विद्युत अवसंरचना बनाने तथा घरों को विद्युतीकृत करने के लिए अप्रैल, 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)- कार्यक्रम प्रारंभ किया। योजना के तहत, 1,12,795 गैर/निर्विद्युतीकृत गांवों (यूईवी) को विद्युतीकृत करने, 3,96,336 आंशिक रूप से विद्युतीकृत (पीईवी) गांवों का गहन विद्युतीकरण करने तथा गरीबी रेखा से नीचे के 2,74,98,652 घरों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन जारी करने को शामिल करते हुए 648 परियोजनाओं को मंजूर किया गया था। दिनांक 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार, योजना के अंतर्गत 1,06,474 यूई गांवों, 2,87,827 पीई गांवों को विद्युतीकृत करने का कार्य संपन्न हो गया है तथा गरीबी रेखा से नीचे के 2,05,15,472 घरों को निःशुल्क बिजली के कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं। आरजीजीवीवाई के तहत निर्धारित मार्च, 2012 तक एक लाख गांवों और गरीबी रेखा से नीचे के 1.75 करोड़ घरों को विद्युतीकृत करने का भारत निर्माण लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013 की अवधि के लिए व्यस्ततम विद्युत की कमी 9s रही है तथा ऊर्जा की कमी 8.8s रही।

देश में बिजली की मांग व आपूर्ति के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं-

- (i) 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान 88,537 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि।
- (ii) चालू उत्पादन परियोजनाओं की क्षमता अभिवृद्धि की गहन निगरानी।
- (क) विद्युत परियोजनाओं की प्रगति में अवरोध क्षेत्रों को चिन्हित करने तथा उनके तीव्र निराकरण के लिए माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री, सचिव, विद्युत मंत्रालय तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा उच्चतम स्तर पर समीक्षा की जा रही है, ताकि परियोजनाओं को समय पर चालू किया जा सके।
- (ख) अवरोध क्षेत्रों को चिन्हित करने तथा अन्तर्मंत्रालयी एवं अन्य बकाया मामलों के तीव्र निराकरण को सहज बनाने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, योजना आयोग एवं केंद्रीय सचिवालय सहित विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षाएं की जाती हैं।
- (iii) 4000 मेगावाट प्रत्येक की अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं का विकास।
- (iv) संयुक्त उद्यमों के माध्यम से विद्युत उपस्करों की घरेलू विनिर्माण क्षमता का संवर्धन।
- (v) वर्तमान उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए जल विद्युत, तापीय, नाभिकीय एवं गैस आधारित पावर स्टेशनों का समन्वित प्रचालन एवं अनुरक्षण।
- (vi) तापीय पावर स्टेशनों को देशी स्रोतों से कोयला आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए विद्युत यूटिलिटीयों द्वारा कोयले के आयात पर बल देना।
- (vii) पुरानी व अकुशल उत्पादन इकाइयों का नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा जीवन-विस्तार।

(viii) उपलब्ध विद्युत के अधिकतम उपयोग के लिए अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर्क्षेत्रीय पारेषण क्षमता को सुदृढ करना।

लोकसभा में दिनांक 7.3.2013 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1824 के भाग(क) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

|||||||

क्षेत्र		राज्य/यूटिलिटीज	2008-09	2009-10	2010-11
उ. क्षे.	1	हरियाणा	30.74	31.00	29.66
	2	हिमाचल प्रदेश	15.51	20.52	22.22
	3	जम्मू व कश्मीर	58.02	67.35	63.27
	4	पंजाब	23.08	23.39	25.10
	5	राजस्थान	31.47	29.99	27.87
	6	उत्तर प्रदेश	30.94	33.15	34.01
	7	उत्तराखंड	41.79	25.27	29.97
	8	चंडीगढ़	22.36	23.19	20.25
	9	दिल्ली	22.22	22.09	20.04
प. क्षे.	1	गुजरात	24.07	22.77	19.24
	2	मध्य प्रदेश	38.46	38.32	37.62
	3	छत्तीसगढ़	26.38	18.62	15.06
	4	महाराष्ट्र	23.88	25.16	20.68
	5	दादर एवं नागर हवेली	15.57	11.22	10.14
	6	गोवा	17.12	16.99	15.27
	7	दमन व दीव	20.06	17.19	16.83
द. क्षे.	1	आंध्र प्रदेश	19.56	18.37	16.59
	2	कर्नाटक	17.03	18.76	17.34
	3	केरल	13.16	19.59	18.29
	4	तमिलनाडु	18.14	18.41	13.47
	5	लक्षदीप	24.87	11.59	25.65
	6	पुडुचेरी	12.24	11.84	12.41
पू. क्षे.	1	बिहार	46.37	43.58	50.77
	2	झारखंड	24.27	22.24	17.07
	3	ओडिशा	42.65	37.00	42.47
	4	सिक्किम	38.80	39.01	33.67
	5	प. बंगाल	16.79	18.33	22.40
	6	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	24.16	19.76	20.68
पूर्वोत्तर. क्षे.	1	असम	37.59	32.82	34.17
	2	मणिपुर	63.37	54.66	50.87
	3	मेघालय	37.45	39.06	35.77
	4	नागालैंड	58.30	56.91	48.24
	5	त्रिपुरा	35.78	35.55	27.36
	6	अरुणाचल प्रदेश	46.88	48.04	47.12
	7	मिजोरम	52.70	53.80	45.63
अखिल भारतीय			25.47	25.39	23.97

स्रोत: के.वि.प्रा.(सामान्य समीक्षा)

|||||||

लोकसभा में दिनांक 7.3.2013 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1824 के भाग(ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध ।

||||||

देश में वितरण को सुधारने और विद्युत की एटी एंड सी हानियों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

आरएपीडीआरपी

देश में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियां कम करने और राज्य यूटिलिटीयों के विद्युत वितरण क्षेत्र को सुधारने के लिए भारत सरकार ने 11वीं योजना अवधि के दौरान पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम(आरएपीडीआरपी) की शुरुआत की है । आरएपीडीआरपी में क्षेत्रों में सतत एटी एंड सी हानि में कमी लाने में यूटिलिटीयों द्वारा वास्तविक प्रदर्शनीय निष्पादन पर मुख्य बल दिया गया है । स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएँ 2001 की जनगणना के अनुसार 30000(विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 10000) से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में दो भागों में ली जाती हैं । स्कीम का भाग(क) बड़े शहरों (जनसंख्या 4 लाख और वार्षिक ऊर्जा निवेश 350 एमयू) के लिए ऊर्जा लेखा/लेखा परीक्षा तथा सुपरवाइजरी नियंत्रण तथा डाटा अधिग्रहण(स्काडा) हेतु आईटी युक्त प्रणाली की स्थापना के लिए है जबकि भाग(ख) परियोजना शहरों में विद्युत अवसंरचना के उत्थान, वृद्धि तथा सुदृढीकरण के लिए है ।

आरएपीडीआरपी के अंतर्गत अब तक 32323.70 करोड़ रूपए (भाग-क 1402 शहरों तथा 63 शहरों में 63 स्काडा परियोजनाओं को शामिल करते हुए 6638.79 करोड़ रूपये, भाग(ख) 1132 नगरों में 25684.91 करोड़ रूपये) के मूल्य की परियोजनाओं को पहले ही मँजूरी प्रदान की जा चुकी है ।

यूटिलिटीयों की रेटिंग

राज्य वितरण यूटिलिटीयों के वित्तपोषण हेतु वित्तीय संसाधनों(एफआई)/ बैंको द्वारा एकीकृत दृष्टिकोण को सक्षम बनाने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने राज्य वितरण यूटिलिटीयों के लिए एकीकृत रेटिंग प्रक्रिया विकसित की है । एकीकृत रेटिंग प्रक्रिया का समग्र उद्देश्य वितरण यूटिलिटीयों को प्रोत्साहित/निरूत्साहित करने के लिए तंत्र तैयार करना है ताकि स्वयं सतत प्रचालन के लिए वित्तपोषण समर्थन सहित सब्सिडी, इक्विटी समर्थन पर प्रतिबद्धताएं पूरी करने के लिए उनके प्रचालन तथा वित्तीय निष्पादन को सुधारा जा सके विनियामक अनुपालन को सक्षम बनाया जा सके तथा संबंधित राज्य सरकारों को प्रभावित किया जा सके ।

विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल(एपीटीईएल) का आदेश

विद्युत मंत्रालय ने सामान्य रूप से विद्युत क्षेत्र तथा विशेष रूप से वितरण यूटिलिटीयों की वित्तीय स्थिति तथा दीर्घाविधि व्यवहार्यता को सुधारने के हित में उचित रूप से (यदि अपेक्षित हो तो स्वतः संज्ञान पर) टैरिफ को संशोधित करने के लिए राज्य विनियामक प्राधिकरणों को विद्युत अधिनियम की धारा 121 के अंतर्गत दिशानिर्देश जारी करने के लिए " विद्युत अपीलीय ट्रिब्यूनल " से अनुरोध किया है ।

विद्युत संबंधी अपीलिय ट्रिब्युनल(एपीटीईएल) ने दिनांक 11 नवंबर, 2011 के अपने आदेश में राज्य विद्युत बोर्डों/ डिस्काम की वित्तीय स्थिति को सुधारने तथा वितरण यूटिलिटियों के लंबित बकाया के निपटारे के लिए मदद देने की दृष्टि से राज्य आयोगों को दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वचालित ईंधन तथा विद्युत क्रय समायोजन लागत, टैरिफ का स्वतः निर्धारण, यदि यूटिलिटी द्वारा याचिका दाखिल नहीं की गई है, वार्षिक लेखे की तैयारी भी शामिल है और एसईआरसी द्वारा कोई पिछला अंतर नहीं छोड़ा जाना है । विनियामक परिसंपत्तियाँ असाधारण परिस्थितियों में ही सृजित की जानी हैं और अधिकतम 3 वर्षों में परिसमाप्त किया जाना है ।

मॉडल टैरिफ दिशानिर्देश

राज्य विनियामक फोरम तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग(सीईआरसी) ने मॉडल टैरिफ दिशानिर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए संकल्प किया है, जिसमें टैरिफ के यौक्तिकीकरण के मामले का निपटारा किया गया है । एफओआर(विनियामक मंच) ने एसईआरसी को उन्हें अपनाने के लिए माडल टैरिफ दिशानिर्देश परिचालित किए हैं । अब राज्य विद्युत विनियामक आयोगों से इन टैरिफ दिशानिर्देशों को अपनाने और विनियम बनाने की अपेक्षा की गई है । माडल टैरिफ दिशानिर्देशों का अपनाया जाना पावर फाइनेंस कारपोरेशन तथा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन द्वारा यूटिलिटियों को ऋण के वितरण की एक पूर्व शर्त है ।

राज्य वितरण कंपनियों का वित्तीय पुनर्गठन

राज्य डिस्काम के व्यवसाय को सक्षम बनाने तथा उनकी दीर्घावधि व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य स्वामित्व प्राप्त डिस्काम के वित्तीय पुनर्गठन के लिए स्कीम अधिसूचित गई है । स्कीम में केंद्र सरकार द्वारा परिवर्ती वित्तीय तंत्र के माध्यम से समर्थन के साथ उनके ऋण के पुनर्गठन द्वारा वित्तीय व्यवसाय की प्राप्ति हेतु राज्य डिस्काम तथा राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम शामिल हैं ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1832.

जिसका उत्तर 07 मार्च, 2013 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन क्षमता

अ-1832. श्री एस. पक्कीरप्पा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में नए विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापना लक्ष्य को 78,700 मे.वा. से घटाकर 62,000 मे.वा. कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी कारण क्या हैं?

उत्तर

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) और (ख) : योजना आयोग ने ग्यारहवीं योजना के लिए मूल रूप से 78,700 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया था। तथापि, योजना आयोग द्वारा किए गए मध्यावधि मूल्यांकन (एमटीए) के दौरान ग्यारहवीं योजना अवधि में विद्युत परियोजनाओं के चरण और निर्माण की गति और उनके चालू किए जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए ग्यारहवीं योजना के लिए क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य को संशोधित करके 62,374 मेगावाट कर दिया गया था।
